निदेशक मण्डल	**अध्यक्ष**	श्री कल्लोल दत्त	(01.03.2014 से)
	प्रबंध निदेशक	ब्रिगे. बी. डी. पाण्डे, एसएम (सेवानि.)	(28.06.2014 से)
	निदेशकगण	श्री मंजित कुमार	(28.12.2014 तक) सरकारी नामांकित
		श्री अंबुज शर्मा	(29.12.2014 से)
		श्री राकेश चोपड़ा	(29.10.2012 से) स्वतंत्र निदेशक
		श्री सुन्दर बनर्जी, निदेशक (परियोजना)	(17.04.2014 से)
	लेखा परीक्षक	एस. के बासु एण्ड कम्पनी सनदी लेखाकार	
	सॉलीसीटर	फॉक्स एण्ड मण्डल कोलकाता सॉन्डरसन्स एण्ड मॉरगन्स कोलकाता	
	बैंकर	भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक एचडीएफसी बैंक	
	पंजीकृत कार्यालय	27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001.	

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
दस वर्षीय सार–संग्रह	1
वित्तीय स्थिति एक नजर में	2 – 4
शेयरधारकों को सूचना	5
निदेशकों का प्रतिवेदन	6 – 19
राष्ट्रीय राजकोष में किया गया भुगतान	20
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	21 – 26
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	27
तुलन–पत्र	28
लाभ और हानि लेखा	29
लेखे की अनुसूचियाँ	30 – 38
लेखे पर द्रष्टव्य	39 – 45
लेखांकन नीतियाँ	46 – 47
नकद प्रवाह विवरण	48

दस वर्षों का सार – संग्रह

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
1.	सकल उत्पादन	19654.24	26065.82	30210.69	19914.29	14650.85	8255.97	6810.91	8771.54	8016.87	5789.15
2.	बिल योग्य उत्पादन (बि मू०)	19654.24	26065.82	30210.69	19914.29	14650.85	8255.97	6511.91	7947.96	7299.62	5789.15
3.	बिक्री (सकल)	20021.80	26596.05	30221.01	20032.68	15260.46	7790.08	5978.96	8528.33	6780.79	5500.44
	जिसमें से निर्यात (माना गया सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	28.13	0.00	0.00
4.	अन्य आय	1536.48	1095.83	470.79	316.83	80.22	164.68	220.62	142.17	77.36	135.39
5.	सकल उपार्जन/आउटटर्न	21190.72	27161.65	30681.48	20231.12	14731.07	8420.65	6732.53	8090.13	7376.98	5924.54
6.	सामग्री, भण्डार की खपत										
	(उपठेका खर्च सहित)	9719.90	15771.02	19858.06	15714.61	11694.38	6130.61	4602.84	5778.15	5736.58	4826.29
7.	नियोजन लागत	1750.20	2042.22	2010.66	1584.40	1048.30	850.11	768.47	835.34	605.04	500.59
8.	बिजली व ईंधन	275.90	347.23	288.06	204.76	109.91	67.46	89.28	113.91	64.85	35.89
9.	बिक्री की लागत	13980.46	20735.29	24657.69	19524.80	14587.36	7365.94	5789.28	8363.28	6617.20	5516.79
10.	प्रचालन लाभ/(हानि)–पीबीडीआईटी,										
	ईओआई, प्रावधान व पूर्व अवधि	7577.82	6956.59	6034.11	824.71	753.32	588.82	410.30	306.83	240.95	119.04
11.	ब्याज										
	–सरकार	10.24	50.56	42.42	47.55	44.00	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	–बैंक व अन्य	4.87	1.95	3.23	46.30	46.09	28.46	17.64	38.57	37.16	14.02
12.	मूल्य ह्रास	137.30	104.87	117.92	118.37	108.02	71.58	34.00	20.42	21.66	17.46
13.	शुद्ध लाभ/(हानि)–कर पूर्व–पी बी टी	7406.04	6842.10	5837.54	595.96	449.07	332.49	286.70	184.37	138.88	53.99
14.	कर के लिए प्रावधान	2583.51	2429.62	1629.34	119.24	89.50	56.51	33.52	21.98	16.48	5.02
15.	शुद्ध लाभ/(हानि)–कर पश्चात्	4822.53	4412.48	4208.20	476.72	359.57	275.98	253.18	162.39	122.40	48.97
16.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	0.00	474.18	474.18	11.62	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नकद उत्पन्न	4959.83	4517.35	4326.12	595.09	467.59	347.56	287.18	182.81	144.06	66.43
18.	सकल ब्लॉक (सीडब्ल्युआईपी सहित)	1776.02	1762.98	1745.56	1706.54	1542.67	1258.36	970.00	840.99	740.48	663.06
19.	शुद्ध ब्लॉक (सीडब्ल्युआईपी सहित)	570.68	694.94	782.40	861.30	815.80	641.01	419.76	322.70	242.57	186.63
20.	विविध देनदार	427.76	1308.76	6181.32	1218.25	4083.37	2617.22	2178.43	1762.59	2623.84	1700.95
21.	वस्तुसूची	650.96	1091.40	1930.45	2097.92	3443.69	2388.52	1953.30	1894.99	1849.16	1388.05
22.	शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	2026.50	2026.50	2026.50	2026.50	2026.50	2026.50	2026.50	1851.50	1701.50	1701.50
23.	आरक्षित व अधिशेष (एकत्रित हानि सहित)	13479.81	8657.28	4718.98	984.96	519.86	166.12	(104.03)	(357.21)	(519.60)	(642.00)
24.	दीर्घकालीन ऋण	988.60	1264.62	1668.47	1626.69	1581.87	1574.71	1536.19	1343.74	1327.89	1314.62
25.	अल्पकालीन ऋण (नकद साख सहित)	3.14	2.65	150.29	32.91	1123.46	772.79	233.30	220.34	857.90	227.45
26.	कार्यशील पूँजी	15853.91	11255.65	7781.38	3809.30	4435.29	3898.51	3271.60	2735.07	3092.22	2346.64
27.	नियोजित पूँजी	16498.05	11951.05	8564.24	4671.06	5251.69	4540.12	3691.96	3058.37	3367.69	2601.57
28.	शुद्ध संपत्ति	15506.31	10683.78	6745.48	3011.46	2546.36	2192.62	1922.47	1494.29	1181.90	1059.50
29.	पूँजीगत व्यय	13.05	17.41	39.03	163.87	282.81	292.83	131.06	100.55	77.60	105.74
30.	कर्मचारियों की संख्या	101	101	101	101	99	98	93	93	93	91
31.	मूल्य संयोजित	11194.92	11043.40	10535.36	4311.75	2926.78	2222.58	2040.41	2198.07	1575.55	1062.36
32.	प्रति कर्मचारी मूल्य संयोजित	110.84	109.34	104.31	42.69	29.56	22.68	21.94	23.64	16.94	11.67
33.	प्रति रुपये मजदूरी मूल्य संयोजित	6.40	5.41	5.24	2.72	2.79	2.61	2.66	2.63	2.60	2.12
34.	मुद्राकोष में योगदान (राष्ट्र/राज्य)	1052.17	1367.46	1590.84	1009.59	628.65	219.10	152.05	303.95	198.92	140.44
35.	निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च	69.46	4.88	0.00	2.20	1.36	1.56				
	अनुपात :–										
36.	बिल योग्य उत्पादन पर सामग्री खपत (%)	49.45	60.50	65.73	78.91	79.82	74.26	70.68	72.70	78.59	83.37
37.	बिक्री पर नियोजन लागत (%)	8.74	7.68	6.65	7.91	6.87	10.91	12.85	9.79	8.92	9.10
38.	नियोजित पूँजी पर पीबीडीआईटीं (%)	45.93	58.21	70.46	17.66	14.34	12.97	11.11	10.03	7.15	4.58
39.	सकल ब्लॉक पर पीबीडीआईटी (%)	426.67	394.59	345.68	48.33	48.83	46.79	42.30	36.48	32.54	17.95
40.	बिक्री पर शुद्ध लाभ (%)	24.09	16.59	13.92	2.38	2.36	3.54	4.23	1.90	1.81	0.89
41.	शुद्ध संपत्ति पर शुद्ध लाभ (%)	31.10	41.30	62.39	15.83	14.12	12.59	13.17	10.87	10.36	4.62
42.	वर्तमान अनुपात	4.23	2.86	2.02	1.63	1.56	1.52	1.72	1.60	1.69	1.62
43.	वस्तुसूची टर्नओवर अनुपात (दिनों की सं.)	17	19	29	39	86	118	123	83	102	92
44.	विविध देनदार टर्नओवर (दिनों की सं.)	8	18	75	22	98	123	133	75	141	113

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

वित्तीय स्थिति एक नजर में

(₹ लाख में)

	2014-2015		2013-2014		2012-2013	
कोष प्रवाह विवरण						
स्रोत:						
प्रचालन से कोष:						
शुद्ध लाभ	4822.53		4412.48		4208.20	
जोड़िए: मूल्यह्रास	137.30		104.87		117.92	
		4959.83		4517.35		4326.12
बैंक उधार में वृद्धि		0.49		0.00		117.38
भारत सरकार के ऋण पर उपचित ब्याज में वृद्धि		0.00		0.00		41.78
कार्यशील पूँजी में कमी		0.00		0.00		0.00
निवेश में कमी		0.00		0.00		0.00
		4960.32		**4517.35**		**4485.28**
उपयोग :						
शुद्ध हानि		–		–		–
सकल ब्लॉक में वृद्धि (समायोजन का शुद्ध)		13.05		17.41		39.03
निवेश में वृद्धि		72.99		0.00		0.00
बैंक उधार में कमी		0.00		147.64		0.00
वित्तीय पुनर्निर्माण :						
ऋण में कमी		0.00		403.85		0.00
शेयर पूँजी में वृद्धि		0.00		0.00		0.00
अन्य समायोजन (शुद्ध)		0.00		0.00		0.00
कार्यशील पूँजी में वृद्धि		4598.26		3474.27		3972.07
आस्थगित राजस्व व्यय के लिए समायोजन		0.00		0.00		0.00
लाभांश प्रदत्त (कर सहित)		0.00		474.18		474.18
		4960.32		**4517.35**		**4485.28**
कार्यशील पूँजी की स्थिति:						
वस्तुसूचियां	650.96		1091.40		1930.45	
विविध ऋणीगण	427.76		1308.76		6181.32	
नकद और बैंक शेष	16428.10		11747.78		5003.87	
ऋण और अग्रिम	803.41		1190.65		786.75	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	2456.86		1962.60		1471.27	
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (क)		**20767.09**		**17301.19**		**15373.66**
विविध लेनदार	4430.70		5130.92		6522.44	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	482.48		914.62		1069.84	
कुल वर्तमान देयताएँ (ख)		**4913.18**		**6045.54**		**7592.28**
कार्यशील पूँजी (क-ख)		15853.91		11255.65		7781.38
कार्यशील पूँजी में वृद्धि / कमी		**4598.26**		**3474.27**		**3972.07**

[redacted] [redacted] [redacted]

वित्तीय स्थिति एक नजर में

(₹ लाख में)

	2014-2015		2013-2014		2012-2013	
शेयरधारकों के कोष का विवरण						
स्थायी परिसंपत्तियां :						
सकल ब्लॉक	1776.02		1762.98		1745.56	
घटाएँ: मूल्यह्रास	1205.34		1068.04		963.16	
शुद्ध ब्लॉक		570.68		694.94		782.40
पूँजीगत चालू कार्य		0.00		0.00		0.00
निवेश		73.46		0.46		0.46
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम		20767.09		17301.19		15373.66
असमायोजित विविध व्यय		0.00		0.00		0.00
कुल परिसंपत्तियां		**21411.23**		**17996.59**		**16156.52**
घटाएँ :						
प्रतिभूत ऋण	3.14		2.65		150.29	
अप्रतिभूत ऋण	988.60		1264.62		1668.47	
(शून्य दर ऋणपत्रों सहित)						
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	4913.18		6045.54		7592.28	
		5904.92		7312.81		9411.04
शेयरधारकों का कोष		**15506.31**		**10683.78**		**6745.48**
अर्जन और अंतर्धारितों का विवरण						
अर्जन :						
विक्रय	20021.80		26596.05		30221.01	
अन्य राजस्व	1536.48		1095.83		470.79	
चालू कार्य में वृद्धि / (ह्रास)	(367.56)		(530.23)		(10.32)	
		21190.72		27161.65		30681.48
घटाएँ :						
अंतर्धारित:						
कच्चा माल, भंडार, स्पेयर पार्ट्स आदि की खपत	3291.87		5469.35		9622.27	
निर्माण और अन्य व्यय	8294.93		12346.26		12726.38	
कर्मचारियों का पारिश्रमिक	1750.20		2042.22		2010.66	
बिजली और ईंधन	275.90		347.23		288.06	
वित्तीय प्रभार	15.11		52.51		45.65	
मूल्यह्रास	137.30		104.87		117.92	
पूर्वावधि समायोजन	19.37		(42.89)		33.00	
असामान्य मदें	0.00		0.00		0.00	
		13784.68		20319.55		24843.94
कर-पूर्व लाभ/(हानि)		**7406.04**		**6842.10**		**5837.54**

[redacted] [redacted] [redacted]

वित्तीय स्थिति एक नजर में

(₹ लाख में)

		2014-2015		2013-2014		2012-2013	
मूल्य संयोजित विवरण							
विक्रय		20021.80		26596.05		30221.01	
जोड़ें (i)	अन्य राजस्व	1536.48		1095.83		470.79	
(ii)	चालू कार्य में वृद्धि / (ह्रास)	(367.56)		(530.23)		(10.32)	
			21190.72		27161.65		30681.48
घटाएँ: (i)	प्रत्यक्ष सामग्रियां	3130.12		5102.56		9259.77	
(ii)	निर्माण और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	6428.03		10301.67		10235.79	
(iii)	भण्डार, यंत्रांग और खुला औजार	161.75		366.79		362.50	
(iv)	बिजली और ईंधन	275.90		347.23		288.06	
			9995.80		16118.25		20146.12
मूल्य संयोजित			**11194.92**		**11043.40**		**10535.36**
व्यय:			%		%		%
प्रचालन में:							
(i)	वेतन, मजदूरी और कर्मचारियों के अन्य हितलाभ	15.63	1750.20	18.49	2042.22	19.08	2010.66
(ii)	अन्य प्रचालन लागत (पूर्व अवधि व्यय, असामान्य मद सहित)	16.85	1886.27	18.13	2001.70	23.95	2523.59
वित्तपोषण बावत:							
(iii)	उधारों पर ब्याज	0.13	15.11	0.48	52.51	0.43	45.65
अन्यान्य :							
(iv)	मूल्यह्रास	1.23	137.30	0.95	104.87	1.12	117.92
(v)	करों के लिए प्रावधान	23.08	2583.51	22.00	2429.62	15.47	1629.34
जोड़ें:लाभ / (हानि)		43.08	4822.53	39.96	4412.48	39.94	4208.20
कुल		**100.00**	**11194.92**	**100.00**	**11043.40**	**100.00**	**10535.36**

अल्पकालीन शोधक्षमता

वर्तमान देयताओं (प्रावधान सहित) में वर्तमान परिसंपत्तियों का प्रतिशत जो अल्पकालीन शोधक्षमता की एक उपाय है, वह 2012-2013 में 202.49 से बढ़कर 2013-2014 में 286.18 हो गयी है एवं आगे बढ़कर 2014-15 में 422.68 हो गयी है।

शेयरधारकों के प्रति सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जा रही है कि कंपनी की शेयरधारकों की 80 वीं वार्षिक सामान्य बैठक भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के कार्यालय 26, राजा संतोष रोड अलीपुर, कोलकाता–700 027 में 10 जुलाई, 2015 को अप. 12.30 बजे निम्नलिखित कार्यों का संपादन करने के लिए होगी :–

1. कंपनी के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा तथा उसी तिथि को तुलन–पत्र के साथ ही सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए यथोक्त लेखे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजीआई) के प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के कामकाज से संबंधित निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार किया गया है, को ग्रहण करना, उसपर विचार करना और उसे पारित करना।
2. वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले सांविधिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना।
3. निदेशकों की नियुक्ति करना।

विशेष कार्य

4. निदेशक की पुनर्नियुक्ति।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर संशोधन के साथ या बिना विचार करना और यदि उचित पाया जाय तो पारित करना।

साधारण प्रस्ताव

संकल्प किया जाता है कि श्री सुंदर बनर्जी, कंपनी के निदेशक मण्डल में निदेशक, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख पर पद पर बने हुए हैं तथा जिनकी सेवाएं चक्रानुक्रम में सेवानिवृति होनी है एवं वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर. एन. मुखर्जी रोड
कोलकाता – 700 001
जुलाई 04, 2015

(एस. के. भट्टाचार्य)
कंपनी सचिव

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 की उप–धारा (1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग के आदेश से कंपनी में श्री सुंदर बनर्जी को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ ऑसोसियेशन श्री सुंदर बनर्जी इसी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पद पर बने रहेंगे और वे पुनर्नियुक्त होने के पात्र रहते हुए आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे। पुनर्नियुक्ति के विषय पर सिफारिश कर यह प्रस्ताव किया जाता है।

उक्त संकल्प में श्री बनर्जी के अलावा कोई अन्य निदेशक इस विषय में संबद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर. एन. मुखर्जी रोड
कोलकाता – 700 001
जुलाई 04, 2015

(एस. के. भट्टाचार्य)
कंपनी सचिव

<u>द्रष्टव्य</u>

1) बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को, अपने बदले में बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरूष नियुक्त करने का अधिकार है और उक्त प्रतिपुरूष को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के तहत यथापेक्षित अल्पतर सूचना पर 80 वाँ वार्षिक सामान्य बैठक बुलाए जाने के लिए सदस्य की सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।
3) कंपनी अधिनियम की 102(1) के अधीन मद सं 4 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
शेयरधारकगण

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके समक्ष लेखे के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ कंपनी के प्रचालन और कार्यनिष्पादन पर 80 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

2.0 सुर्खियां:

वर्ष 2014–2015 वास्तव में चुनौतीपूर्ण रहा। संघ सरकार द्वारा आर्थिक परिदृश्य के कायाकल्प सुधार के उपायों के भारी घुमावों में चरणबद्ध रूप से "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना एवं "इन्फ्रास्ट्रक्चर", "लोक निवेश" एवं "रुपये की स्थिरता" को मजबूती प्रदान करना शामिल है, जो उच्च विकास प्रक्षेप की आर्थिक विकास का संकेत है।

संघ सरकार की अन्य मुख्य नीतिगत पहल में विराट जन झुकाव की स्वच्छ भारत मिशन, 2019 तक स्वच्छ भारत तैयार करने के अलावा निवेश की सुविधा, नवीन प्रक्रिया को प्रोत्साहन, कुशलता विकास में वृद्धि, बौद्धिक संपत्ति की सुरक्षा एवं देश में उत्कृष्ट श्रेणी की विनिर्माण संरचना बनाने के लिए "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की अभिकल्पना की गयी है। प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश (एफडीआई) के लिए और संरचना पर ध्यान देने के साथ नये क्षेत्र खोलने एवं अर्थव्यवस्था में विकास की गति प्रदान करने के लिए योजनाओं से भावी चुनौतियों के मुकाबला हेतु अर्थव्यवस्था को मजबूत एवं और गुंजायमान बनाना है।

इस वित्तीय वर्ष में आपकी कंपनी संघ सरकार के मिशन के संग साझेदारी में होने की वजह से महत्वपूर्ण नीतिगत पहल जैसे मेट्रो रेलवे परियोजना का प्रसार, स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण, ट्रैक बिछाना एवं आधुनिकीकरण, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु बोली लगाने के जरिए काम की संभावना तलाशने के नीचे से विकास के लिए अपने संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए पूरे दम से लगी हुयी है। आने वाले वर्षो में आपकी कंपनी द्वारा उठाये गये कदम से आपकी कंपनी का कार्यनिष्पादन प्रभावशाली रूप से सुधरेगा।

सभी प्रकार की जटिलताओं एवं चुनौतियों के बावजूद के मुंगेर में गंगा ब्रिज के मुख्य इरेक्शन कार्य पूरा होने एवं डेक कंक्रीटिंग कार्य में प्रचुर प्रगति हुयी है। बीबीजे एक बार फिर अपने नाम की पहचान बनाये रखी है। राष्ट्रीय स्तर पर अन्य युगान्तरकारी परियोजनाओं जैसे बिहार में गंडक पुल एवं उत्तर बंगाल में जलढाका एवं तोर्सा पुल के कार्य पूरा होने से आपकी कंपनी ने विभिन्न दिशाओं में कार्यनिष्पादन का ट्रैक रिकार्ड और भी महिमामण्डित की है।

आपकी कंपनी विगत वर्ष की 68.42 करोड़ रुपये लाभ के उपर 8.75% की विकास दर्ज करते हुए 2014-15 के दौरान 74.06 करोड़ रुपये की अभी तक की उच्चतम करपूर्व लाभ हासिल की है। आपकी कंपनी का कर पश्चात लाभ 48.23 करोड़ रुपये हुआ है जो पिछले वर्ष के 44.12 करोड़ रुपये से 9.31% अधिक है। आनेवाली वर्षो में कंपनी के लिए प्रधान सर्वोत्तम स्तर पर आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने के लिए 31 मार्च, 2015 को कंपनी की शुद्ध मूल्य विगत वर्ष के 106.84 करोड़ रुपये की तुलना में 155.06 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है।

बाजार की चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा एवं सुदृढ़ीकरण के बावजूद कंपनी ने अन्य आय में प्रचुर प्रगति करके 200.21 करोड़ की कुल बिक्री हासिल की। बाजार की मंदी से उबरने के लिए बीबीजे ने लाभप्रदत्ता बढ़ाने के लिए सचेतन रूप से रेलवे एवं अन्य ग्राहकों से लाभकारी आदेशों की ओर लक्ष्य रखा है।

3.0 वित्तीय कार्यनिष्पादन:

3.1 वित्तीय वर्ष 2013-2014 की तुलना में 2014-2015 के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	2014-2015	2013-2014
सकल आय	**21537.80**	**27647.53**
सकल लाभ एवं परिशोधन	**7406.04**	**6842.10**
मूल्य ह्रास	**137.30**	**104.87**
वित्त लागत	**15.11**	**52.51**
कर पूर्व लाभ	**7406.04**	**6842.10**
वर्तमान कर के लिए प्रावधान	**2583.51**	**2429.62**
कर पश्चात् शुद्ध लाभ	**4822.53**	**4412.48**

4. 0 वित्तीय एवं पूँजी संरचना:

4.1 गत वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2014 को कंपनी की पूँजी संरचना नीचे प्रदर्शित है:

(₹ लाख में)

विवरण	31-3-2015 को	31-3-2014 को
प्राधिकृत पूँजी	3000.00	3000.00
शेयर धारकों का कोष		
शेयर पूँजी (निर्गमित और अभिदत्त)	2026.50	2026.50
आरक्षण एवं अधिशेष	13479.81	8657.28
गैर वर्तमान देयताएं		
दीर्घकालीन ऋण	814.62	864.62
अन्य दीर्घकालीन देयताएं	3.40	17.13
दीर्घकालीन प्रावधान	12.33	17.54
वर्तमान देयताएं		
अल्पकालीन ऋण	177.12	402.65
व्यापार देय	4430.70	5130.92
अन्य वर्तमान देयताएं	138.04	268.59
अल्पकालीन प्रावधान	328.71	611.38
कुल	**21411.23**	**17,996.59**
प्रतिनिधित्वकर्ता:		
गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां		
स्थायी परिसम्पत्तियां (शुद्ध)		
दृश्य परिसम्पत्तियां	569.53	694.01
अदृश्य परिसम्पत्तियां	1.15	0.93
गैर वर्तमान निवेश	73.46	0.46
वर्तमान परिसम्पत्तियां	20767.09	17,301.19
कुल	**21411.23**	**17,996.59**

एकीकरण की प्रक्रिया :

आपकी कंपनी के साथ नियंत्रक कंपनी, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (भाभाउनिलि) ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्संरचना की शर्तों के अनुसार दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एकीकरण की योजना के साथ बीबीयूएनएल के संग आपकी कंपनी के एकीकरण हेतु प्रस्ताव देते हुए भारत सरकार (एमसीए), निगमित मामले के मंत्रालय में याचिका दायर किया है। कथित एकीकरण पर समय-समय पर एमसीए द्वारा सुनवाई की गयी एवं एमसीए अपने आदेश द्वारा योजना के साथ कथित याचिका अनुमोदित की।

उक्त आदेश में दूसरी बातों के साथ हस्तांतरणकर्ता कंपनी, 'बीबीजे' (समापन की प्रक्रिया के वगैर) के ''विधटन'' करने की व्यवस्था दी गयी है एमसीए के कथित आदेश के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), कोलकाता के पास 30 दिनों की समय के भीतर दाखिल करने के फलस्वरूप हस्तांतरिती कंपनी, 'बीबीयूएनएल' के साथ 'बीबीजे' समामेलित हो जाती है। बदले में भा उ वि द्वारा यथा अनुमोदित एवं एमसीए द्वारा वगैर संशोधन के एकीकरण योजना में दी गयी अनुमति से 'बीबीयूएनएल' अपना नाम परिवर्तन कर ''दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड'' हो जायेगी। उक्त एकीकरण से आपकी कंपनी एवं बीबीयूएनएल द्वारा और उसके मध्य तकनीकी-वाणिज्यिक सहक्रिया द्वारा आपकी कंपनी और भी व्यवहार्य हो जायेगी।

लाभांश

4.1 लाभांश देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में पहचाने जाने वाली आपकी कंपनी को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पुनर्संरचना के लिए सरकारी आदेश के अनुसरण में आपकी कंपनी नियंत्रक कंपनी, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के साथ भारत सरकार, निगमित मामले मंत्रालय के दिनांक 11 जून, 2015 के आदेश की शर्तों के अनुसार समामेलित हो जायेगी एवं एकीकरण आपकी कंपनी द्वारा उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास उक्त आदेश दाखिल करने पर प्रभावी होगी। इसलिए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा फैसला करने पर न्यायिक दर पर घोषणा की जायेगी।

5.0 आदेश बुक:

31.03.2015 को पाइपलाइन में 268.00 करोड़ रुपये मूल्य के संग 100.65 करोड़ रुपये का आदेश हस्तागत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 200.22 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश निष्पादित किया गया तथा बिल बनाया गया। वर्ष 2015-2016 के लिए आदेश पुस्तक में और सुधार करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

6.0 विविधीकरण एवं भावी संभावनाएँ:

6.1 कंपनी द्वारा विविधीकरण के लिए कदम उठाये गए हैं जिसमें अन्य बातों के अलावा संबंधित क्षेत्रों की बोर पाइल फाउंडेसन के साथ आरसीसी ब्रिज कार्य, अन्य संरचनात्मक कार्य एवं रेलवे वैगनों की मरम्मत सम्मिलित है। आपकी कंपनी अपने सीमित संसाधनों के साथ खड़गपुर में मार्केटिंग हब के निर्माण के अतिरिक्त चाईबासा में रोड ओवर ब्रिज के निर्माण एवं मिदनापुर में कलाईचंडी खाल पर आरसीसी ब्रिज के निर्माण हेतु संविदाओं में भाग लिया है। यह कदम सफल रहा तो आने वाली समय में आपकी कंपनी को ऐसी ही प्रकृति के और भी आदेश मिलने की प्रत्याशा है एवं आपकी की कंपनी निचली पंक्ति तथा लाभप्रदत्ता पर महत्वपूर्ण योगदान देगी।

आगे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी विपणन परिदृश्य और भी सुधारने की प्रचेष्टा में उत्तर सीमांत रेलवे से मणीपुर में दो पुलों के निर्माण के लिए आदेश प्राप्त की है। यद्यपि चुनौतीपूर्ण कार्य होने से कंपनी की पार्श्वदृश्य को नयी प्रेरणा मिलने की आशा है।

6.01 आपकी कंपनी विपणन रणनीति के विषय के तौर पर अन्य सरकारी एजेंसियों से काम हासिल करने के लिए संभावनाएं तलाश रही है एवं विभिन्न संस्थाओं से निर्माण कार्य के लिए अनुरुप मौके तलाशने के अलावा आपकी कंपनी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से अन्य मूल्य संयोजित सिविल परियोजनाएँ हेतु काम हासिल करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, आपके कंपनी के पास उच्च मूल्य की निविदाओं पर भाव देने के लिए समझौता जापन/कंसोर्टियम के रूप मे विनिर्माण उद्योगों के अन्य प्रधान हस्तियों के साथ रणनीतिक गठबंधन करना विचाराधीन है। इस नीतिगत पहल का प्रधान उद्धेश्य कंपनियों के बीच समझौता जापन प्रक्रिया के जरिये तकनीकी-आर्थिक सहक्रिया के लाभ तलाशना है। तकनीकी रूप से सक्षम होने के अतिरिक्त, समय के साथ यह प्रक्रिया कंपनियों एवं कंसोर्टियम के लिए लाभदायक होगी एवं जिससे निचली पंक्ति में मूल्य संयोजन का फल मिलेगा।

7.0 मानव संसाधन:

आपकी कंपनी ने वास्तविक मूल्यों के विकास हेतु कर्मचारी कल्याण क्रियाकलाप प्रोत्साहित की है एवं काम के रास्ते में आपसी भागीदारी एवं पारस्परिक समझ से आपकी कंपनी से जोड़ने का काम किया है। आपकी कंपनी ने इस प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता विकास प्रशिक्षण देने के उद्धेश्य से नामी संस्थाओं के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की है और जिसमें सभी स्तरों के कर्मचारियों ने व्यापक रूप से भाग लिया।

सभीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की जीवन-रेखा, औद्योगिक सम्पर्क शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण रहा।

8.0 निगमित अभिशासन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित एवं सरकार द्वारा जारी की गयी दिशानिर्देशों के मुताबिक कार्पोरेट गवर्नेंश पॉलिसी में निम्नलिखित शामिल है :

कंपनी का दर्शन निगमित अभिशासन के कोड पर सत्यनिष्ठा, स्वच्छता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है।

निगमित अभिशासन के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिपाटी की पंक्ति में बढिया अभिशासन पर ''फोकस'' करना है।

प्रत्येक पणधरी का ''कायम रखने योग्य एवं दीर्घावधि विकास'' उपलबध संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है एवं व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समाज की प्रगति में सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण संतुलत बनाने एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के जरिये निरंतर प्रयत्न करना है।

आपकी कंपनी के लिए अभिशासन का मतलब आपने विश्वास के प्रति सच्चा होना और लगातार उसे मजबूती प्रदान करना एवं पणधारियों के मूल्यों मे वृद्धि करना एवं पारदर्शिता के सिद्धांत ग्रहण कर, उत्तरदायित्व एवं प्रतिबद्ध मूल्य सृजन सिद्धान्तों के अनुपालन द्वारा निवेश से प्राप्ति करना है।

निगमित अभिशासन पर अनुशासन पर अनुपालन रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग के निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन के लिए लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्र के संग वार्षिक प्रतिवेदन के अंश के रूप में संलग्नित किया गया है। आपकी कंपनी को प्राप्त अंक द्वारा उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आपकी कंपनी आनेवाले वर्षो में आगे भी अंक में सुधार करने एवं प्रचालन एवं क्रियाकलापों के सभी पहलुओं में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जिम्मेदारी एवं निष्पक्षता की उच्च कोटि हासिल करने के लिए कठिन प्रयास कर रही है।

8.01 लेखा-परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 एवं कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक एवं इनकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम-6 के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति गठित की गयी है। लेखा परीक्षा समिति में वित्तीय एवं लेखा क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त स्वतंत्र निदेशकों समेत गैर-कार्यकारी निदेशकगण हैं। लेखा परीक्षा समिति एवं दूसरी समितियों के संबंध में विवरण निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में दिया गया है।

प्रक्रिया में उत्कृष्टता हासिल करने एवं लेखा परीक्षा मानदण्ड का अनुपालन तथा निगमित अभिशासन प्रक्रिया के अंग के रूप में आपकी कंपनी नियमित रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करती रही है ताकि पारदर्शिता, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा एवं विभिन्न कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस प्रकिया में सभीक्षाधीन वर्ष के दौरान कथित लेखा परीक्षा समिति चार बार बैठकें आयोजित की है। आंतरिक लेखा परीक्षा योजना, आंतरिक नियंत्रण रचनातंत्र एवं वित्तीय एवं प्रचालन पद्धति के मामले को और भी संरचित की गयी है ताकि कंपनी अधिनियम, 1956 के परमादेश के साथ सौस एवं एकात्मता से सभी किस्म की भावी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

आपकी कंपनी संविधि प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए आगे कदम उठाने हुए 'सीएसआर समिति', 'कार्पोरेट गवर्नेश समिति', 'पारिश्रमिक समिति', 'स्टैक होल्डर्स रिलेशनशीप समिति' एवं 'प्रबंधन समिति' सहीत विभिन्न समितियों का गठित किया है। उपर्युक्त समितियों पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्यकलाप करती है एवं उपरोक्त प्रत्येक समितियां संबंधित मुद्दे पर कार्य करती है।

9.0 निगमित सामाजिक दायित्व:

आपकी कंपनी उच्च मान की पेशेवर, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं नैतिक व्यवहार से मामलों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालन करने में विश्वास करती है। अपने कर्मचारियों को सुरक्षित एवं भयमुक्त काम करने का वातावरण देने के प्रयत्न में आपकी कंपनी ''व्हिशील ब्लोवर पॉलिसी'' का अनुसरण करती है। निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक एवं संदिग्ध घोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति का उल्लघंन के दृष्टांत पर रिपोर्ट करने हेतु भयमुक्त वातावरण तैयार करना ही नीति का उद्धेश्य है। व्हिशील ब्लोअर पॉलिसी के बारे में विवरण कार्पोरेट गवर्नेश रिपोर्ट में ही बताया गया है। कंपनी के वेबसाईट पर ''व्हिशील ब्लोअर पॉलिसी'' डालना प्रस्तावित है।

9.01 संबद्ध पार्टी से लेनदेन:

आपकी कंपनी द्वारा प्रोमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अन्य पदस्थापित व्यक्तियों से कंपनी के हितों से संभावित द्वंद रखने वाला किसी व्यापक महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी लेन देन नहीं किया गया है। सभी संबद्ध पार्टी लेन देन जैसे एवं जब होता है तो लेखा परीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

9.02 महिलाओं की कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण:

आपकी कंपनी सुरक्षित कार्य का माहौल तैयार करने एवं उसे बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है जहों इसके कर्मचारियों, एजेंटों, विक्रेताओं एवं भागीदार उत्पीड़न, शोषण एवं भय से मुक्त वातावरण में कार्य एवं व्यापार कर सके। महिलाओं के सशक्त करने एवं यौन उत्पीड़न के विरूद्ध महिलाओं की सुरक्षा के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु नीति बनायी गयी है एवं विधिक दिशानिर्देशों के मुताबिक एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गयी है। यह नीति कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की सुविधा प्रदान करती है। आंतरिक समिति को यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को देखने का अधिकार तथा स्पष्ट समयसीमा के संग खुले एवं निष्पक्ष जांच प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त है।

9.03 ऋण, गांरटियों एवं निवेशों एवं जोखिम प्रबंधन नीति का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-186 के प्रावधान के अधीन ऋण, गांरटियों एवं निवेशों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्यों में दिया गया है। आपकी कंपनी जोखिम प्रबंधन समिति गठित की है। समिति का ब्यौरा एवं दूसरे विवरण भी कार्पोरेट गवर्नेश रिपोर्ट में दी गयी है, जो निदेशकों के प्रतिवेदन का अंग है।

9.04 आंतरिक लेखा परीक्षा एवं आंतरिक नियंत्रण:

आपकी कंपनी के पास इसके आकार एवं सभी प्लांटों, डिवीजनों एवं कार्पोरेट आफिस के व्यापारिक प्रचालनों के अपुरुप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त एवं समुचित पद्धति है ताकि अप्राधिकृत उपयोग या कब्जा एवं विश्वसनीय प्राधिकृत सौदे, सही रिकार्ड किये एवं तत्परता से रिपोर्ट किये किसी हानि के विरूद्ध अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने अपनी सभी स्थानों पर सहयोगी आंतरिक लेखा परीक्षा करने हेतु बाहरी आंतरिक लेखा परीक्षा एजेंसी नियुक्त की है। इसकी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा रखा गया है।

9.05 आचार संहिता:

आपकी कंपनी के पास सठीक परिभाषित नीति का ढांचा है जिसमें निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सभी सदस्यों द्वारा नीतिपरक पेशेवर आचरण के पालन करने वाली पद्धतियाँ दी गयी हैं। संहिता मूल नीतिपरक विचारों के साथ उन विशेष विचारों को रेखांकित करती हैं जिसे पेशेवर आचरण हेतु बनाये रखना है। इस संबंध में यह बताते हुए कि सरकारी निदेशों के अधीन यथापेक्षित समय-समय पर बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा संकलित की गयी आचार संहिता की घोषणा की गयी है। फार्म एमजीटी-9 में दी गयी 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी का उद्धरण यहॉ अनुलग्नक-1 में संलग्न किया गया है एवं इस प्रतिवेदन का अंग है।

9.06 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अनुपालन की आवश्यकताओं एवं अनुपालन के विवरणों का आपकी कंपनी अनुपालन की है, यानी
31 जुलाई, 2015 को स्थित फार्म एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी का उद्धहरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-एफ के तौर पर संलग्न किया गया है। निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में दिया गया है जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

10.0 पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते इस पर मुख्य रूप में ध्यान दिया गया है। अन्दरूनी रचनातंत्र की चेष्टा से आपकी कंपनी विभिन्न उत्पादन की साइटों पर चालू प्लांटों से उत्सर्जित कार्बन एवं अन्य गैसों के स्तरों का मोनिटर करने के लिए आवधिक जांच पद्धति जारी रखी है एवं नीति दुरस्त की है।

वर्ष के दौरान प्राधिकारियों या विनियामकों से कभी भी संबंधित कानूनों के गैर-अनुपालन का अभियोग दिखाते हुए कोई नोटिस या कारण दिखाओं कागजात नहीं प्राप्त हुआ है एवं इस प्रकार आपकी कंपनी समाज एवं व्यापक लोगों के प्रति पारिस्थितिकी-मित्र बनी रही है।

11.00 निगमित सामाजिक दायित्य:

आपकी कंपनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यो के विस्तृत क्षेत्र में सहायता से समाज के प्रति सकारात्मक योगदान करने के लिए कोशिश करती है। कंपनी यह आश्वस्त करती है कि समुदाय को उनकी जरूरतें कंपनी की सक्रियता के जरिए लाभ मिलें। कंपनी का घ्येय कार्यक्रमों के माध्यम से समग्र रूप से विकास करने एवं समाज के जीवन में गोचर बदलाव लाना है।

आगे निगमित सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में प्रतिबद्ध, सक्रिय एवं अनुवर्ती बने रहने के लिए आपकी कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भिन्न महत्व की परियोजनाऐं चिह्नित करने के लिए कदम उठायी है एवं इसी दिशा में कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यक्ताओं के अनुरूप बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाऍ क्रियाकलाप एवं

शिक्षा के अलावा स्वच्छ भारत कोष में अंशदान कर 69.49 लाख रूपये की राशि व्यय की है। आगामी वर्ष 2015-16 के लिए रखी राशि कंपनी अधिनियम, 2013 एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नि यो दा नीति की आवश्यक्ताओं के मुताबिक विभिन्न चरणों में खर्च की जायेगी।

12.01 उत्साहवर्द्धन/एमएसएमई को सहायता:

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी पिछले वर्षो के जैसे ही एमएसएमई से सामग्रियां खरीद रही है। कई चरणों में चयनित स्त्रोतों/खरीद के जरिए सामग्री एवं सेवाएँ प्राप्त कर सामाजिक कल्याण संगठनों को सहायता और समर्थन भी दी गयी है।

13.00 ऊर्जा संरक्षण एवं तकनॉलजी:

आपकी कंपनी कई नीतिगत अभिक्रमों के जरिए नई एवं उन्नत यंत्रांश द्वारा ऊर्जा संरक्षण की है। दूसरे कार्यों में रख–रखाव परिपाटी प्रक्रिया के अंश के तौर पर निरंतर प्रक्रिया से साइट पर प्लांटों के रखरखाव एवं अन्य प्रचालन उपकरणों की आवधिक ओवरहॉउलिंग करना हैं। इसका उद्धेश्य ईंधन खपत में कमी कर एवं सदृश ईंधन उपयोग की कुशलता में वृद्धि हुयी।

यह सूचनाएं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ई) के साथ पठित कंपनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रगटीकरण) नियम, 1988 के अधीन अनुलग्नक में दी गयी है और जो इस प्रतिवेदन का अंग है।

14.00 विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(ड) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा की आय और व्यय पर अतिरिक्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है जो इस प्रतिवेदन का अंग है।

15.00 सतर्कता:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी के देखभाल में सतर्कता क्रियाकलाप सफलतापूर्वक व्यवस्थित हुयी।

16.00 सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं 2014-2015 के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियां:

16.01 लेखा परीक्षकगण:

मेसर्स एस. के. बसु एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोलकाता को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

16.02 वर्ष 2014-2015 के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन स्वत: स्पष्ट है एवं लेखे पर टिप्पणियों के साथ पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है।

16.03 भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरण की पुनरीक्षा नहीं करने का फैसला किया है एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक नहीं दी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का पत्र इस प्रतिवेदन के साथ यहां संलग्न है।

17.04 लेखांकन नीति/मानदण्ड का अनुपालन:

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान आपकी कंपनी ने लेखांकन मानदण्ड/नीति के अनुरूप कंपनी का लेखा संगत रूप से लेखांकन मानदण्ड एवं लेखांकन नीति का अनुपालन की है। किसी प्रकार की व्यतिक्रम न होने से लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में कोई हेर–फेर नहीं है।

18.00 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–197(12) के अधीन कर्मचारियों के व्यौरे तथा निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) एवं 5(3) के तहत शर्तो के अनुसार कंपनी का कोई भी कर्मचारी उस धारा के अधीन नहीं आता है।

19.00 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

अधिनियम की धारा 134 के अनुसरण में निदेशकगण का कहना है कि–

(क) वार्षिक लेखा तैयार करने में वस्तुगत विचलनों, यदि है से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ ही प्रयोज्य मानदण्डों का अनुपालन किया गया;

(ख) उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं उन्हें लगातार लागू किया गया एवं निर्णय एवं आकलन किए हैं तथा जो यथोचित एवं दूरदर्शी है ताकि 31 मार्च, 2015 को स्थित कंपनी की कार्यस्थिति का एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त लाभ और हानि लेखा का सत्य एवं स्वच्छ आंकलन हो;

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखने के लिए सठीक एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है;

(घ) वार्षिक लेखों का चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है;

(ङ) कंपनी द्वारा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रख गया है एवं वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से चल रही है;

(च) सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित पद्धति निर्मित की गयी एवं ऐसी पद्धतियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालन कर रही है।

20.00 राजभाषा कार्यान्वयन:

विभिन्न अन्तर्गृह कार्यक्रमों के जरिए राजभाषा का कार्यान्वयन की गयी। कुछ कार्यक्रमों के अलावा आपकी कंपनी द्वारा आने वाले वर्षो में और कार्य करने के प्रयास किए जाएंगे।

21.00 निदेशक मंडल:

श्री कल्लोल दत्ता, अएवंप्रनि, भाभाउनिलि एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एण्डू युल एण्ड कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम), कोलकाता आपकी कंपनी के अध्यक्ष बने रहें उनके साथ 28 जून, 2014 से प्रभावी सरकार के आदेश द्वारा ब्रिगेडियर बी. डी. पाण्डेय, एसएम (सेवानिवृत्त) ने प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया एवं श्री सुन्दर बनर्जी, निदेशक (परियोजना) के पद पर बने रहें।

श्री राकेश चोपड़ा, पूर्व सदस्य (इंजी.), रेलवे बोर्ड आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में अंश-कालीन गैरसरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहे।

श्री अबुंज शर्मा, अपर सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2014 से प्रभावी आदेश से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में श्री मंजित कुमार, निदेशक, भाउवि के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

30 मार्च, 2015 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पदनामित ''मूल प्रबंधकीय कार्मिकों'' की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 2(51) एवं 203 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर ब्रिगेडियर बी. डी. पाण्डेय, एस एम (सेवानिवृत्त) प्रबंध निदेशक, निदेशक के रूप में श्री सुन्दर बनर्जी, मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में श्री जी सी जश, महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव के रूप में श्री एस के भट्टाचार्य, महाप्रबंधक (कंपनी सचिव) हैं।

22.00 आभारज्ञापन:

22.01 आपके निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों खासकर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारतीय रेलवे, कोलकाता पत्तन न्यास, रेल विकास निगम एवं पश्चिम बंगाल सरकार, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एवं एचडीएफसी बैंक एवं अन्य बैंकों द्वारा कंपनी को प्रदत्त सहोग एवं मूल्यवान सहायता के लिए हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

22.02 आपके निदेशकगण भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी द्वारा निरंतर समर्थन और मार्गनिर्देश के लिए अपकी सराहना दर्ज करते हैं।

22.03 आपके निदेशकों को आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार के प्रति सभी कर्मचारियों द्वारा सहयोग एवं प्रतिबद्धता एवं योगदान के लिए अभिस्वीकृति प्रकट करते हुए हर्ष है। उनके सतत समर्थन से आपकी कंपनी की वर्तमान सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर पुल निर्माण उद्योग के क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखने में सक्षम रहा और आगे भी रहेगा।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से
ब्रिगे. बी. डी. पाण्डे, एसएम (सेवानिवृत्त)
प्रबन्ध निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 04 जुलाई, 2015

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

कंपनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों की घोषणा) नियम, 2014 साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसरण में सूचना, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन का अंग है।

(क) ऊर्जा का संरक्षण:

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय:	(क) ऊर्जा के संरक्षण पर कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण नीति बनाई है। कार्य स्थलों पर संयंत्रों एवं उपस्करणों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करती है। नीतियों का पुनर्विचार समय-समय पर निगमित स्तर पर किया जाता है।
(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, अगर कोई क्रियान्वित किया जा रहा है:	(ख) शून्य
(ग) ऊर्जा की खपत को कम करने हेतु उपर्युक्त उपाय (क) तथा (ख) का प्रभाव और माल के उत्पादन की लागत पर परिणामी प्रभाव	(ग) उपर्युक्त (क) के अधीन अपनाए गए उपाय प्रत्युत्तरदायी हैं, क्योंकि इसने समय पर कंपनी की ऊर्जा की खपत में कमी में योगदान किया है।

(ख) प्रोद्यौगिकी आत्मसात करना:

(क) स्टील पुलों के साईट फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन के लिए आपकी कंपनी को आई.एस.ओ. 9001:2008 कंपनी के रूप में प्रमाणीकृत किया गया है।

(ख) **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय**

	वर्तमान वर्ष (₹ लाख में)	**गत वर्ष** (₹ लाख में)
पूँजी	शून्य	शून्य
राजस्व	शून्य	शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

	वर्तमान वर्ष (₹ लाख में)	**गत वर्ष** (₹ लाख में)
निर्यात आदि से अर्जन	शून्य	शून्य
यात्रा आदि पर व्यय	1.85	0.20

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन :

यह प्रतिवेदन भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय , लोक उद्यम विभाग द्वारा मई 2010 में जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों के नियम के अनुसार है।

<table>
<tr><td>निगमित अभिशासन के दिशानिर्देश पर कंपनी का दर्शन</td><td>कंपनी के दृष्टिकोण से निगमित अभिशासनों का लक्ष्य :
शेयरधारकों के दीर्घकालीन शेयर मूल्य और कंपनी की संपत्तियां निर्माण करने की क्षमता को निम्नलिखित कार्यों के जरिए बढ़ाना।
• वरिष्ट प्रबंधकवर्ग को विवेकशील व्यवसायिक निर्णय एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन लेने में सहायता करना।
• कंपनी के सभी निर्णय और कार्यों मे पारदर्शिता और व्यवसायिक गुणों को प्राप्त करना।
• प्रकटीकरण विचारधारा का अनुपालन।
• निगमित अभिशासन में श्रेष्ठता निम्न के द्वारा प्राप्त करना :
1. निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप उत्कृष्ट बनाना, जहाँ कहीं भी संभव हो।
2. व्यवसाय प्रंबधन को उच्च नैतिक मानक पर स्थापित करके कानून एवं नियमों का पालन करना।
3. वर्तमाण प्रणाली की आवधिक समीक्षा और नियंत्रण करते हुए उसका सुधार करना।</td></tr>
<tr><td>निदेशक मण्डल</td><td>निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किया जाता है।
नीचे सभी निदेशकों की संख्या दी गई है। निगमित अभिशासन के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निदेशक मण्डल को लाने के लिए निदेशकों की नियुक्ति के लिए सरकार को संदर्भ दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>निदेशक मण्डल का गठन</td><td>
<table>
<tr><th>निदेशकों की संख्या</th><th>नाम</th></tr>
<tr><td></td><td>श्री कल्लोल दत्त, अध्यक्ष एवं प्रवंध निदेशक भारत भारी उद्यग निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), अध्यक्ष
(जून 28, 2014 से)</td></tr>
<tr><td></td><td>ब्रिगे. बी. डी. पाण्डे, एसएम (सेवानि.)
प्रबंध निदेशक (जून 28, 2014 से)</td></tr>
<tr><td></td><td>श्री अंबुज शर्मा, अपर सचिव, भा. उ वि सरकार की मनोनित व्यक्ति (दिसंबर 29, 2014 से)</td></tr>
<tr><td></td><td>श्री राकेश चोपड़ा, स्वतंत्र निदेशक-सरकार द्वार नियुक्त (अक्टूबर 21, 2012 से)</td></tr>
<tr><td></td><td>श्री सुन्दर बनर्जी, निदेशक (प्रोजेक्ट) (अप्रिल 17, 2014 से)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>आयोजित बैठकें
(निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति)</td><td>
<table>
<tr><td>वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकें</td><td>01</td><td>जून 30, 2014</td></tr>
<tr><td></td><td>02</td><td>अगस्त 22, 2014</td></tr>
<tr><td></td><td>03</td><td>अक्टूबर 29, 2014</td></tr>
<tr><td></td><td>04</td><td>मार्च 30, 2014</td></tr>
<tr><td>वर्ष के दौरान आयोजित लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें</td><td>01</td><td>जून 30, 2014</td></tr>
<tr><td></td><td>02</td><td>अगस्त 29, 2014</td></tr>
<tr><td></td><td>03</td><td>अक्टूबर 29, 2014</td></tr>
<tr><td></td><td>04</td><td>मार्च 30, 2014</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

बैठकों में उपस्थिति (निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति)	नाम	बैठकों में उपस्थिति		पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति जो 29 अक्टूबर 2014 को आयोजित हूई
		निदेशक मंडल	लेखा परीक्षा समिति	
	श्री कल्लोल दत्त	04	00	जी हाँ
	श्री मंजित कुमार	03	03	प्रतिपुरुष द्वारा
	श्री अंबुज शर्मा	01	00	जी हाँ
	श्री एम. के. सिह	01	01	जी नहीं
	श्री राकेश चोपड़ा	03	03	जी हाँ
	ब्रिगे. बी. डी. पाण्डे एसएम (सेवानि.)	04	04	जी हाँ
	श्री सुन्दर बनर्जी, निदेशक (प्रोजेक्ट)	04	04	जी हाँ

लेखा-परीक्षा समिति	भूमिका एवं विचारार्थ विषय :	सार्वजनिक उद्यमों पर निगमित अभिशासन के दिशा-निदेशों के पैरा 4.2 के अधीन उल्लिखित विशिष्ट मामलों में उपस्थित होना। प्रबंधन सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा निदेशक मंडल के मध्य सम्पर्क के रूप कार्य करना। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का आकलन करना।

गठन, बैठकें एवं उपस्थिति	निदेशकों का नाम	बैठक में उपस्थिति – 2014-2015	
	श्री मंजित कुमार	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 03
	श्री राकेश चोपड़ा	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 03
	श्री एम. के. सिह	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 01
	श्री सुंदर बनर्जी	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 04
	ब्रिगे० बी.डी.पाण्डेय, एसएम (सेवानि)	आयोजित बैठकें – 04	उपस्थिति – 04

निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति गठित करने के अलावा अन्य समितियों नियुक्त की है। इन समितियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

- निगमित सामाजिक दायित्व समिति
- पारिश्रमिक समिति
- निगमित अभिशासन समिति
- पणधारी संबंध समिति
- प्रबंधन समिति

उपर्युक्त प्रत्येक समिति में अन्य निदेशक सदस्य हैं एवं जिसके प्रमुख स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशक :

आपकी कंपनी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त की है जिन्हें संबंधित क्षेत्र/पेशे में विशेषज्ञता/ अनुभव प्राप्त है। स्वतंत्र निदेशकों का प्रोमोटरों से न संपर्क है और न ही संबंध है और कंपनी से किसी आर्थिक संबंध भी नहीं है तथा आगे कंपनी की कुल मत देने की क्षमता से दो प्रतिशत या अधिक धारित नहीं करती है।

स्वतंत्र निदेशक से इस आशय की घोषणा हासिल की जाती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशक की विशिष्टता पूर्ण करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए शुल्क की राशि निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है एवं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहीत सीमा के अंदर है।

आचार संहिता	निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का प्रारूप यथावर्णित, क्रियान्वित कर दी गयी है।			
साधारण निकाय की बैठक **पिछले तीन सालों की वार्षिक साधारण बैठकों की विवरणी**	**वित्तीय वर्ष**	**दिनांक**	**समय एवं कार्यक्रम-स्थल**	**विशिष्ट संकल्प**
	2011-2012	24 सितम्बर, 2012	12:30 बजे बी बी यू एन एल अलीपुर, कोलकाता	शून्य
	2012-2013	27 नवंबर, 2013	12:30 बजे ए वाई सी एल कोलकाता	शून्य
	2013-2014	29 अक्टूबर, 2014	12:30 बजे ए वाई सी एल कोलकाता	शून्य
वार्षिक साधारण बैठक - 2014	कंपनी के सदस्यों की 79 वी वार्षिक साधारण बैठक 29 अक्टूबर, 2014 को आयोजित हुयी। दिनांक 30 सितम्बर, 2014 से आगे बैठक आयोजित करने के संबंध में समय बढ़ाने की अनुमति कंपनी रजिस्ट्रार से प्राप्त कर ली गयी थी, जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 में वांछित है।			
वार्षिक साधारण बैठक - 2015	कंपनी के सदस्यों की 80 वी वार्षिक साधारण बैठक 10 जुलाई, 2015 को तय है।			

अन्य प्रकटीकरण	निदेशकों या उनके सगे संबधियों के साथ लेन-देन जिसमे कंपनी के स्वार्थ में विवाद की संभावना है।	शून्य
	संबद्ध पार्टी के लेन-देन (एएस 18) करना।	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों के साथ संलग्न द्रष्टव्य।
	कंपनी की तरफ से अनुपालन न करना या कठोरता के साथ इसके उपर आरोपित तक पहुँचने में बाधा दिया गया है।	शून्य
	ह्विसिल ब्लोअर नीति एवं पुष्टि कि किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति तक पहुँचने मे बाधा नहीं दिया गया है।	हम स्वीकार करते हैं कि किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति तक पहुँचने में बाधा नहीं दिया गया है।
	इन मार्गदर्शनों की जरूरतों का अनुपालन करने का विवरण	आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के अनुपालन किया गया है। चुंकि, सरकार के, नियुक्ति के मामले में रिपोर्ट की गयी है इसलिए आंशिक अनुपालन किया गया।
	इस साल और पिछले तीन सालों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया गये राष्ट्रपति के निदेशों का विवरण और उसका अनुपालन।	अनुपालन के लिए कोई निर्देश लंबित नहीं है।
	लेखों में दिखाई गई खर्चों की मदें जो व्यवसाय के लिए नहीं थी।	शून्य
	निदेशक मण्डल और शीर्षस्थ प्रबंधन के व्यक्तिगत खर्च के लिए किया गया व्यय	शून्य

संचार के साधन	• चूँकि कंपनी द्वारा जारी शेयर लिस्टेड नहीं है इसलिए त्रैमासिक नतीजा किसी भी अखबार में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। • वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के वेवसाइट में दिखाया गया हैं। **<u>पत्राचार के लिए पता</u>** 27, सर राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001
लेखा-परीक्षा के क्वालिफिकेशनस्	कंपनी का प्रयास है कि अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की दिशा में कंपनी कदम उठाए। कोई क्वालिफाईड होने पर उसके समर्थन में पर्याप्त व्याख्या दी गयी है, अन्यथा प्रवंधन के उत्तर के जरिये क्वालिफिकेशन को समर्थन दिया गया है। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर कोई लेखा परीक्षा प्रतिबंध नहीं है।
प्रशिक्षण	कंपनी द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण किया जाता है।
निगमित अभिशासन लेखा परीक्षा	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखे का परीक्षण किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ तथा निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

फार्म सं० एमजीटी-9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष को यथास्थित (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम-12(1) के अनुसरण में।

(I) पंजीकरण एवं अन्य व्यौरा :

सी आई एन	यू28112डब्ल्युबी1986 जी 01041286
पंजीकरण तिथि	सितंबर, 1987
कंपनी का नाम	मेसर्स दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी कंपनी
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	27, आर एन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001 फोन : 033-2248-5841/43 फैक्स : 033-2210 3961
क्या कंपनी सूचीबद्ध है हाँ/नही	नहीं

(II) कंपनी की मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप :
कंपनी के कुल कारोबार के 10% या आधिक अंशदान करने वाली व्यावसायिक कार्यकलाप निम्नलिखित है :

क्रम सं०	उत्पाद का नाम एवं विवरण	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का %
1.	पुल का फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन	शून्य	95.00% (करीब)
2.	सिविल इंजीनियरिंग के अन्य कार्य	शून्य	5.00% (करीब)

(III) नियंत्रक, अनुषंगी एवं सम्बद्ध कंपनियों का विवरण-लागू नहीं

क्रम सं०	कंपनी का नाम	कंपनी का पता	सीआईएन	नियंत्रक/अनुषंगी/ सम्बद्ध कंपनी	धारित शयरों का %	कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन लागू धारा
1.						
2.						

(IV) शेयर होल्डिंग पैटर्न : (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी (विघटन)

(i) श्रेणीवार शेयर धारित

(ii) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों एवं जीडीआर एवं एडीआर के होल्डरों) के शेयर होल्डिंग पैटर्न :

क्रम सं०	**10** शीर्ष शेयरधारकों प्रत्येक के लिए	निम्नलिखित के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		निम्नलिखित के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
1.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)	20,26,444	99.99% (लगभग)	20,26,444	99.99% (लगभग)

(v) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिकों (मुप्रका) द्वारा शेयरधारित :

क्रम सं०		वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
	कंपनी के प्रत्येक निदेशक एवं मू प्र का के लिए	शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
	निदेशकों:				
1.	ब्रिगे. बी. डी. पाण्डेय, एसएम (सेवानिवृत्त), प्रबंध निदेशक	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)
2.	श्री सुंदर बनर्जी, निदेशक (परियोजना)	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)
3.	श्री सौम्येन नंदी, महाप्रबंधक (परियोजना), भाभाउनिलि	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)	–	20,26,444	20,26,500	99.99% (लगभग)	–	20,26,444	20,26,500	99.99% (लगभग)	

क्रम सं०		वर्ष के प्रारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
4.	श्री जी. सी. जश महाप्रबंधक (वित्त), बी बी जे	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)
5.	श्री स्वपन वंद्योपाध्याय, प्रबंधक (विधि एवं प्रशासन), भाभाउनिलि	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)
6.	श्री ए. एम. मनीचन, भा०उ०वि०, भारत सरकार, नई दिल्ली	1	00.001% (लगभग)	1	00.001% (लगभग)

(VI) ऋणग्रस्तता

कंपनी का ऋणभार बकाया/उपचित ब्याज समेत परंतु भुगतान बकाया नहीं निम्न है :

	जमा रहीत प्रतिभूति ऋण (₹ लाख में)	अप्रतिभूति ऋण (₹ लाख में)	जमा (₹ लाख में)	कुल ऋणग्रस्तता (₹ लाख में)
वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूल राशि	–	814.62	–	814.62
	3.14	173.98	–	177.12
(ii) ब्याज बकाया परंतु चुकना नहीं	–	–	–	–
(iii) ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं	3.40	–	–	3.40
कुल **(i+ii+iii)**	6.54	988.60		995.14
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन :				
ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं (वि.वि. 13-14-वि.वि. 14-15)				
संयोजन	–	–	–	–
वियोजन*	13.73* (₹ 17.13–3.40 = ₹ 13.73*)	225.53* (₹ 402.65–177.12 = ₹ 225.53*)	–	– 239.26
शुद्ध परिवर्तन	13.73	225.53		239.26
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूल राशि	–	814.62	–	814.62
	3.14	173.98	–	177.12
(ii) ब्याज बकाया परंतु चुकता नहीं	–	–	–	–
(iii) ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं	3.40	–	–	3.40
कुल **(i+ii+iii)**	6.54	988.60		995.14

बदले का अंतर समेत

VII) निदेशकों एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक :

(क) ब्रिगे. बी. डी. पाण्डेय, एसएस (सेवानि), प्रबंध निदेशक एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिक को दी गयी पारिश्रमिक :

क्रम सं०	पारिश्रमिक का विवरण	ब्रिगे. बी. डी. पाण्डेय एसएम (सेवानि.) प्रबंध निदेशक (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
1.	सकल वेतन (वार्षिक)		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन	5,91,500	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	7,48,111	13,39,611
2.	कमीशन :		
	कार्य निष्पादन	–	–
	बोनस	–	–
	दीर्घाविधि प्रोत्साहन योजना (एल टी आई पी) #	–	–
3.	अन्यान्य-सेवानिवृत्ति सुविधाएं	–	–
	कुल (क)	13,39,611	13,39,611
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम	शुद्ध लाभ का 5%	

(ख) श्री सुंदर बनर्जी, निदेशक (परियोजना) एवं मूल प्रबंधकीय कार्मिक को दी गयी पारिश्रमिक :

क्रम सं०	पारिश्रमिक का विवरण	श्री सुंदर बनर्जी, निदेशक (परियोजना) (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
1.	सकल वेतन (वार्षिक) (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य	6,12,298 9,65,915	15,78,213
2.	कमीशन : कार्य निष्पादन बोनस दीर्घाविधि प्रोत्साहन योजना (एल टी आई पी) #	– – –	– – –
3.	अन्यान्य-सेवानिवृत्ति सुविधाएं कुल (क) अधिनियम के अनुसार उच्चतम	– 15,78,213 शूद्ध लाभ का 5%	– 15,78,213

(ग) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

1. स्वतंत्र निदेशकों :

पारिश्रमिक का विवरण	श्री राकेश चोपड़ा (₹ में)
निदेशक मंडल/समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क* कमीशन अन्यान्य, कृपया स्पष्ट करें	15,000 – –

2. गैर-कार्यपालक निदेशकों :

क्रम सं०	पारिश्रमिक का विवरण	श्री कल्लोल दत्ता (₹ में)	श्री अंबुज शर्मा (₹ में)
	निदेशक मंडल/समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क* कमीशन अन्यान्य, कृपया स्पष्ट करें	– – –	–

3. मूल प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक :

क्रम सं०	पारिश्रमिक का विवरण	श्री जी. सी. जश, मुख्य वित्तीय अधिकरी (₹ में)	श्री एस के. भट्टाचार्य कंपनी सचिव (₹ में)	कुल राशि (₹ में)
1.	सकल वेतन (वार्षिक) (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) को अधीन अनुलाभ का मूल्य	5,04,891 7,11,586	5,06,000 7,08,000	10,10,891 14,19,586
2.	अन्यान्य, सेवानिवृत्ति सुविधाएँ कुल (क)	– 12,16,477	– 12,14,000	24,30,477

VIII. दण्ड/सजा/अधिनियम का समझौता :

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दण्ड/सजा/ समझौता शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एन सी/एल टी न्यायालय)	अपील की गयी, यदि कोई है (ब्यौरा दें)
दण्ड सजा समझौता	शून्य				

राष्ट्रीय राजकोष में किए गए भुगतान का ब्यौरा

(₹ लाख में)

	2014-2015	2013-2014
बिक्री कर / डब्लयू. सी. कर	920.97	1304.42
स्थानीय कर और कर	131.20	63.04
कुल	**1052.17**	**1367.46**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
के सदस्यगण,

1. वित्तीय विवरणो पर प्रतिवेदन :

हमने दि ब्रेथवेट एण्ड जेसप कंसट्राक्शन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है – 31 मार्च, 2015 को यथा स्थित तुलन पत्र साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते, नकद प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ शामिल हैं।

2. वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–7 के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के तहत उल्लेख किये लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्तों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकद प्रवाह के सच्चे एवं निष्पक्ष विचार देने हो के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में बताये गये मामले के लिए जिम्मेदार हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं लागू करना; युक्तिसंगत एवं दूरदर्शी निर्णय करना एवं अनुमान करना एवं लेखांकन रिकार्ड की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चत करने के लिए प्रभावी रूप से चलने वाली पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं रखरखाव शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से होनेवाली वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त सही एवं स्वच्छ विचार व्यक्त करता हो वित्तीय विवरणों की तैयारी करने एवं प्रस्तुतीकरण के अनुरूप हो।

3. लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व :

हमारा उत्तरदायित्व हमारी परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करना है। हमने अधिनियमों के प्रावधानों, लेखांकन एवं परीक्षा मानकों एवं अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन तैयार की गयी नियमों के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की जाने वाली उन विषयों को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन बतायी गयी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें एवं योजना बनाएं तथा उचित आश्वासन हासिल करने के लिए इस प्रकार लेखा परीक्षा करें कि वित्तीय विवरण वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हों।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशि एवं प्रकटीकरण के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। लेखापरीक्षक के निर्णय पर चयनित कार्यप्रणाली वित्तीय विवरणों की वस्तुपरक गलतबयानी की जोखिम समेत चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, निर्भर करता है। उन जोखिम वाले आकलनों को करने में लेखा परीक्षक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के अनुरूप हो जिससे लेखा परीक्षा तरीकों के डिजाइन बनाने के लिए सही एवं स्वच्छ तस्वीर बने एवं वे हालात के उपयुक्त हों परंतु यह मत व्यक्त नहीं करने के उद्धेश्य से हो कि कंपनी के पास वित्तीय प्रतिवेदन देने के पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा लेखांकन अनुमानों का औचित्य के साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्याकंन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे योग्य लेखा परीक्षा मत के लिए उचित पर्याप्त आधार प्रदान करता है।

मत :

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा वांछित सूचनाएँ देते हैं, जिस तरीके से चाहा गया है तथा आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों की अनुकूलता में दिनांक 31 मार्च, 2015 को कंपनी के कार्यो की स्थिति एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ एवं नकद प्रवाह की सही और सच्ची तस्वीर पेश करते हैं।

मामले का महत्व :

हम वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्यों में दिए निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि–

वित्तीय विवरणों के द्रष्टव्य–17 में भारत सरकार, निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के साथ दि ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के समामेलन की योजना के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से धारा 394 के विषय पर स्वीकृति का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त योजना 01.4.15 से प्रभावी होती है।

हमारा मत इन मामलों पर नहीं बदला है।

विधिक एवं नियामक आवश्यक्ताओं पर रिपोर्ट :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखाा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2015 (आदेश) द्वारा यथापेक्षित हम प्रयोज्य सीमा तक–आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर वक्तव्य अनुलग्नक–1 में देते हैं।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–143(5) के अधीन यथापेक्षित हम भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2015 के उनके पत्र सं 1555/कोआर्डएन/एकाउंट्स/डाइरेक्शन्स/2015-16 द्वारा दिए निदेशों का विवरण अनुलग्नक–II में देते हैं।

(iii) हम अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित प्रतिवेदन देते हैं कि–

(क) हमारे मांगने पर तथा हमें वे सभी सूचनाएँ व स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा–परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे विचार से जहाँ तक उन खातों की हमारी लेखा–परीक्षा से लगता है, कंपनी ने नियमों में यथा आवश्यक उचित लेखा पुस्तिका रखी है।

(ग) इस प्रतिवेदन में संव्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तिका से अनुरुपता रखती हैं।

(घ) हमारे विचार से उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा–133 के अधीन बताये लेखांकन मानदण्डों का अनुपालन करती है।

(ङ) भारत सरकार, कार्पोरेट मामलों मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) की शर्तो के मुताबिक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(च) हमारे विचार से कंपनी के पास पर्याप्त एवं प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है।

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुरूप लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जानी वाली अन्य विषय के बारे में मेरे विचार से एवं हमारे सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिये स्पष्टीकरणों के अनुसार–

(i) कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोट–31 के तहत मद 1 (बी) में यथासंदर्भित अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

(ii) कंपनी ने दीर्घकालीन निर्माण करने का ठेका लिया है। फिर भी कंपनी ठेके की गैरनिष्पादित हिस्से के लिए भविष्य में होनेवाली किसी भी नुकसान की उम्मीद नहीं की है एवं इसलिए उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, जो वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–31 के तहत मद 18 (बी) में संदार्भित है। कंपनी किसी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं की है।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण करने के लिए कोई राशि नहीं थी।

कृते – एस. के. बसु एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन– 301026ई
(एस. बसु)
भागीदार
सदस्यता सं. 053225

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24.06.2015

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

I. (क) कंपनी ने अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए समुचित अभिलेख रखी है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। जैसा कि हमें सूचित किया गया है, मिलान किया गया है तथा ऐसे सत्यापन से कोई फर्क नहीं पाया गया है।

II. (क) हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान भण्डार एवं यंत्रांगों की वस्तुसूचियां का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

(ख) हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनायी जाने वाली वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ कम्पनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के संबंध में यथोचित और पर्याप्त है।

(ग) हमारे मत में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वस्तुसूचियों का समुचित अभिलेख रखा है। जैसा हमें बताया गया है, भौतिक सत्यापन से कोई फर्क ध्यान में नहीं आया है।

III. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में तालिकाबद्ध कंपनी, प्रतिष्ठान व अन्य पार्टियों को या उनसे कोई नया ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत न तो लिया है और नहीं स्वीकृत किया है।

IV. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के आकार और वस्तुसूची व स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल व सेवाओं की बिक्री हेतु इसके कारोबार की प्रकृति के साथ संगति रखते हुए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण पद्धति है। आगे, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण पद्धति की किसी बड़ी कमजोरी अथवा निरंतर प्रकृति की कोई असफलता हमारे ध्यान में नहीं आई है।

V. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 तथा 76 के अधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

VI. लागत अभिलेख रखने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

VII. (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी समुचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर और सेस सहित अविवादित सांविधिक देयों को जमा करने में नियमित रही है। आगे, कंपनी के अभिलेखों के अनुसार ऐसे सांविधिक देयों के संबंध में बकाया भुगतान की ऐसी कोई राशि बाकी नहीं पड़ी थी, जो 31 मार्च, 2015 को जिस तारीख को वे देय हुई, उससे छः माह से अधिक के लिए बकाया हो।

(ख) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार विवादित सांविधिक बकाया राशि, जो 31.03.2015 को जमा नहीं की गयी हैं, वे निम्नलिखित हैं:-

संविधि का नाम	देयों का स्वरूप	संबंधित अवधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	राशि (रु) लाख
1. पश्चिम बंगाल बिक्री कर	वर्क्स कंट्रैक्ट कर मांग	1992	वाणिज्य कर विभाग	4.26
2. पश्चिम बंगाल बिक्री कर	वर्क्स कंट्रैक्ट कर मांग	2005-2006	अपीलीय प्राधिकारी	542.00
3. पश्चिम बंगाल बिक्री कर	वर्क्स कंट्रैक्ट कर मांग	2006-2007	अपीलीय प्राधिकारी	127.75
4. दिल्ली बिक्री कर	वर्क्स कंट्रैक्ट कर मांग	2004-2005	वाणिज्य कर विभाग	19.36
5. आयकर	आयकर मांग	1999-2000	अपीलीय प्राधिकारी (सी आई टी)	113.09
6. आयकर	फ्रिंज लाभ कर	2005-2006	अपीलीय प्राधिकारी	1.16

(ग) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि में अंतरण करने के लिए कोई राशि नहीं थी।

VIII. दिनांक 31 मार्च, 2015 को कंपनी की एकत्रित हानि नहीं है। तथापि, कंपनी को न तो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान और न ही तत्कालीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि हुई है।

IX. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या ऋणपत्र धारक को देयों का पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

X. हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है।

XI. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत सरकार के मियादी ऋणों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है, जिनके लिए वे प्राप्त किए गए हैं।

XII. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के क्रम के दौरान कंपनी के साथ या उसके द्वारा की गयी धोखाधड़ी की किसी घटना का न तो पता चला है और न ही हमें कोई सूचना दी गयी है।

कृते - एस. के. बसु एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन- 301026ई
(एस. बसु)
भागीदार
सदस्यता सं० 053225

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24.06.2015

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के निदेशानुसार
("अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यक्ताओं पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अधीन अनुच्छेद-II में संदर्भित)

1. यदि कंपनी का चयन विनिवेश के लिए ही जाता है तो परिसम्पत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियां एवं जमीन समेत) एवं देयताएं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य प्रारक्षित समेत) के मूल्यांकन के संबध में विनिवेश प्रक्रिया का मिजाज एवं वर्तमान चरण समेत पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाती। जैसा हमें बताया गया है कंपनी विनिवेश के लिए नहीं चुनी गयी है।

2. क्या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के अधित्याग करने/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है, यदि हाँ तो उसके कारण एवं सम्मिलित राशि पर कृपया रिपोर्ट दें।

   जैसा हमें प्रबंधन द्वारा बताया गया है एवं अभिलेखों की जांच पर आधारित अधित्याग करने/कर्ज/ऋण/ब्याज के बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं मिला है।

3. क्या तीसरी पार्टियों के पास रहने वाली मालसूचियों एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के तौर पर प्राप्त संपत्तियों के बारे में समुचित अभिलेख रखा गया है।

   जैसा हमें प्रबंधन दवारा बताया गया है एवं अभिलेखों की जांच पर आधारित तीसरी पार्टियों के पास कोई मालसूचियॉ नहीं है।

   जैसा हमें प्रबंधन द्वारा बताया गया है एवं अभिलेखों की जांच पर आधारित सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के तौर पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ है।

4. लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों पर विचाराधीनता के कारण समेत एवं सभी विदेशी एवं स्थानीय विधिक केसों पर हुए व्यय के लिए मॉनिटरिंग पद्धति के विद्यमान रहने/प्रभावोकारिता के आयु-वार विश्लेषण का एक रिपोर्ट दी जाए।

   अनुलग्नक-क में लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों पर विचाराधीनता के कारण समेत आयु-वार विश्लेषण का एक रिपोर्ट दिया गया है।

सामान्य रूप से कार्य के बीच पैदा हुए ये मामलें न्यायालय/मध्यस्थता में लंबित हैं। हमारी जांच पर आधारित एवं कंपनी प्रबंधन द्वारा जैसे प्रतिनिधित्व किये जाने पर यह युक्तिसंगत रूप से अनुमान किया गया है कि जब ये कानूनी मामले अंततः समाप्त एवं निर्धारित हो जाते है तो कंपनी की प्रचालन के संसाधन या वित्तीय स्थिति पर कोई भौतिक विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी में कानूनी मामलों (स्थानीय) पर हुए व्यय के लिए मॉनिटरिंग पद्धति के विद्यमान रहने/प्रभावोकारिता के विषय में जैसा प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है एवं हमारे द्वारा अभिलेखों की जांच करने पर आधारित कंपनी सचिव के नेतृत्व में विधि विभाग सभी लंबित मामलों का नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई विदेशी कानूनी मामला नहीं हैं। सामान्य रूप से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मामला आधारित किसी दरों का अनुबंध एवं खर्च नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कर एवं सहबद्ध पेशी होने सहीत विभिन्न विधिक विषयों पर 5.59 लाख रुपये खर्च की है।

कृते - एस. के. बसु एण्ड कं.
सनदी लेखाकर
एफआरएन- 301026ई
(एस. बसु)
भागीदार
सदस्यता सं० 053225

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24.06.2015

परिशिष्ट-क

हमारे इसी तारीख के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 4 में लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II में संदर्भित
विषय : बीबीजे के विधि विभाग द्वारा संभालने वाली लंबित कानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं०	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1.	मध्यस्थता अपील-सीवटेक के मामले में (एपी सं.-2010 का 738, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष लंबित)	2010	• **अपूर्तिकर्ता का दावा** **तथ्य :** मेसर्स बीबीजे के विरूद्ध पारित एवार्ड को चुनौती देते हुए आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत दिसंबर 2010 के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष याचिका दायर किया गया है। तब से मामला लंबित है। **काउन्सेल :** श्री तिलोक बोस, बार एट ला एवं श्री असित दे, अधिवक्ता (बीबीजे की ओर से) **परिणाम :** बीबीजे एवार्ड में किसी भी राहत हासिल नहीं कर सका। मध्यस्थ द्वारा मुख्य विंदुओं के साथ फाइल किया गया अपील नहीं माना गया।	17 लाख रुपये + ब्याज	विषय लंबित है। माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दार के कोर्ट नं. 23 में पेशी हो रही है मद सं. 1937(01.6.2015) से 03.7.2015)	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा अंतिम सुनवाई के लिए मामला अभी तक सूची में नहीं आया है।	कोर्ट नं 23 माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दार, माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
2.	मध्यस्थता अपील-नार्थ सेंट्रल रेलवेस के विरूद्ध चंचल (एवार्ड) केस के मामले में। 2013 का एम जे सी सं.-19, पूर्ववर्ती सं-17/2012, 20/2011 एव ं33/2009) माननीय विद्वान द्वितीय अपर जिला न्यायाधीस, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के समक्ष लंबित)	2009	• **काम का ठेका** **तथ्य :** मेसर्स बीबीजे के पक्ष में शून्य दायिता एवार्ड पारित। नर्थ सेंट्रल रेलवेस ने कथित एवार्ड को आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। मामला 2008 से मामला लंबित है। काउन्सेल : श्री आनंद दीक्षित, वकील (09826421972) बीबीजे की ओर से) **परिणाम :** विद्वान जिला न्यायालय, ग्वालियर (म. प्र.) के समक्ष लंबित पड़ा हुआ है। कुंवरी केस के मामले ऐसा ही अपील में माननीय जिला न्यायालय ने नार्थ सेंट्रल रेलवेस के इस अपील को खारिज कर दिया है। काउन्सेल को आदेश की प्रतिलिपि इसके संदर्भ ग्रहण कर तर्क करने हेतु अग्रेसित किया गया है।	शून्य दायिता	मामला लंबित है। पिछला तारीख 07.05.2015था और इस समय अंतिम न्याय हेतु लंबित है।	मामले की अंतिम सुनवाई हुई एवं तर्क हुए हैं। वह निर्णय न्याय हेतु लंबित है।	विद्वान द्वितीय अपर न्यायाधीश, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3.	मध्यस्थता अपील-नार्थ सेंट्रल रेलवेस के विरूद्ध कुंवरी (एवार्ड) केस के मामले में। (मध्यस्थता अपील 2010 का (ए ए) सं.-1,) माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के समक्ष लंबित)	2010	• **काम का ठेका** तथ्य : मेसर्स बीबीजे के पक्ष में शून्य दायिता एवार्ड पारित। नार्थ सेंट्रल रेलवेस ने कथित एवार्ड को आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को कोई प्रतिलिपि नहीं दी गयी है, इसलिए किसी को रखा नहीं गया है। फिर भी, नार्थ सेंट्रल रेलवेस का कथित दावा खारिज कर दी गयी है एवं दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया है। नार्थ सेंट्रल रेलवेस ने अपकृत होकर विद्वान जिला न्यायालय के कथित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को अपूर्ण प्रतिलिपि दी गयी है एवं मेसर्स बीबीजे को अपील पर आपति दायर करना है। काउन्सेल : श्री कैलास नारायण गुप्ता, वरिष्ठ वकील	शून्य दायिता	मामला लंबित है। आदेश एवं याचिका की प्रतियां मिलने की प्रतिक्षा है। सुनवाई की अंतिम तिथि 11.08.2014 को निर्धारित था एवं उसके बाद वह सुनवाई के लिए अभी तक सूची में नहीं आयी।	मामले की अंतिम सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, ग्वालियर, म. प्र. द्वारा अभी तक सूची में डाला जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

क्रम सं०	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े/ विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
4.	दीवानी मुकदमा–मेसर्स रावतसन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (2014 का सीएस नं, 199) केस के मामले में। मेसर्स रावतसन्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम बीबीजे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष लंबित (मुख्य पक्ष)	2014	• **अपूर्तिकर्ता का दावा** **तथ्य :** मुकदमा मुख्य रूप से मुंगेर पुल ठेका के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टील चैनेल स्लिपरस् की आपूर्ति से संबंधित है। कंपनी द्वारा पुष्टि के लिए कार्यादेश दे दी गयी थी। पूर्व मध्य रेलवे के वस्तुओं के आवश्यक विवरण समय पर देने में असमर्थ रहने से उसे नहीं दिया जा सका एवं ठेका समय बीत जाने से व्यर्थ हो गयी। याचिकाकर्ता इस प्रक्रिया में हुयी हानि की पुन:पूर्ति के लिए 1.17 करोड़ रुपये + एडवेलोरम की दर से ब्याज का दावा किया है। **काउन्सेल :** सैंडर्सन्स एण्ड मोरगन्स (सॉलिसिटर्स)	1.17 करोड़ रुपये + ब्याज एडवेलोरम 18% की दर से	मामला लंबित है। पिछला तारीख 05.09.2014 था। बीबीजे की ओर से लिखित वक्तव्य माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में दायर कर दिया गया है।	मामले की अंतिम सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा अभी तक सूची में डाला जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता
5.	आपराधिक शिकायत–श्री विश्वजीत सरकार (एस.आर. ओटोमेशन प्राइवेट लि०) (2014 का ए/सी नं. 871) के मामले में। श्री विश्वजीत सरकार बनाम श्री सुबीर गोलुई एवं अन्य पांच (बीबीजे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अभियुक्त नं० 5 हैं) विद्वान 7 वां न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, अलीपुर (दक्षिण 24 परगना) के समक्ष लंबित है।	2014	• **उप ठेकेदार का दावा** **तथ्य :** विवाद मुख्य रूप से उप ठेकेदार के 3.13 लाख रुपये के बिल का भुगतान न होने से संबंधित है, जिसे आगे–पीछे आधार पर इलाहाबाद बैंक के भवन निर्माण करने के लिए बीबीजे द्वारा चयन किये गये एक ग्राहक–एसएसई निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त किया गया था। पार्टी (याचिकाकर्ता) अपकृत होकर वर्तमान आपराधिक मुकदमा दायर किया है एवं बीबीजे, अभियुक्त नं० 5 को ठेकेदार और प्रबंधक, इलाहाबाद के साथ एक पक्ष बनाया है। **काउन्सेल :** सैंडर्सन्स एण्ड मोरगन्स (सॉलिसिटर्स)	3.13 लाख रुपये + ब्याज एडवेलोरम 18% की दर से	मामला लंबित है। पिछला तारीख 12.05.2015 था। माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता से आदेश लाने के लिये अगली तारीख 20.08.2015 को निर्धारित किया गया है।	मामला पर माननीय उच्च न्यायालय कलकाता द्वारा 2015 के आपराधिक संशोधन (सी आर आर) सं० 1612 के मामले में दिनांक 17.06.2015 के आदेश से रोक लगा दिया गया है।	विद्वान 7 वां न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, अलीपुर (दक्षिण 24 परगना)
6.	2015 के आपराधिक संशोधन (सीआरआर) सं० 1612 के मामले में बीबीजे कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड–बनाम–श्री विश्वजीत सरकार (एस.आर. ओटोमेशन प्राइवेट लि०) माननीय उच्च न्यायालय, कलकता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष लंबित है। मुकदमा चलाने की तारीख 14.05.2015 है।	2014	• **उप ठेकेदार के उपर्युक्त दावा के विरूद्ध रद्द करना** **तथ्य :** विवाद मुख्य रूप से उप ठेकादार के 3.13 लाख रुपये के बिल का भुगतान न होने से संबंधित है, जिसे आगे–पीछे आधार पर इलाहाबाद बैंक के भवन निर्माण करने के लिए बीबीजे द्वारा चयन किये गये एक ग्राहक–एसएसई निर्माण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियुक्त किया गया था। पार्टी (याचिकाकर्ता) अपकृत होकर वर्तमान आपराधिक मुकदमा दायर किया है एवं बीबीजे, अभियुक्त नं० 5 को ठेकेदार और प्रबंधक, इलाहाबाद के साथ एक पक्ष बनाया है। वर्तमान मामला : माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के समक्ष निम्न न्यायालय के मामला रद्द करने के लिए आपराधिक संशोधन दायर किया गया है क्योंकि बीबीजे आरोपित सौदे में किसी भी रूप में संबंद्ध नहीं है। फिर भी बीबीजे को दी गयी निम्न न्यायालय के समक्ष लंबित मामले का समन एवं याचिका में कंपनी के बारे में गलत जानकारी दी गयी है। **काउन्सेल :** सैंडर्सन्स एण्ड मोरगन्स (सॉलिसिटर्स)	3.13 लाख रुपये	अभी तक मामला लंबित है। माननीय न्यायाधीश, रंजित कुमार बाग (मद सं. 316) के न्यायालय, सं. 10 की दैनिक सूची में आ रही है।	मामले की अंतिम सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता द्वारा अभी तक सूची में डाला जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकता (अपीलीय पक्ष) के माननीय न्यायाधीश, रंजित कुमार बाग के न्यायालय, सं० 10 में है।

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(4)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विनिर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसरण में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा–143 के तहत विनिर्धारित लेखा परीक्षा के मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम, की धारा 143(10) के अन्तर्गत इन वित्तीय प्रतिवेदनों पर मंतव्य प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं। बताया गया है कि उन्होंने ऐसा किया है, देखिए उनका लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 24 जून, 2015।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से वर्ष 31 मार्च, 2015 के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लेखे पर सांविधिक परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है और इस तरह से मुझे अधिनियम की धारा 143(6) (ख) के अन्तर्गत कोई टिप्पणी नहीं करनी है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

कोलकाता
दिनांक: 07 जुलाई, 2015

(प्रवीर कुमार)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
और पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा पर्षद–1
कोलकाता

31 मार्च, 2015 को यथास्थित तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

इक्विटी एवं देयताएं :	द्रष्टव्य		31.03.2015 को		31.03.2014 को
शेयरधारकों के कोष					
शेयर पूँजी	1	2026.50		2026.50	
प्रारक्षित और अधिशेष	2	13479.81	15506.31	8657.28	10683.78
गैर वर्तमान देयताएं					
दीर्घ-मियादी ऋण	3		814.62		864.62
अन्य दीर्घ मियादी देयताएं	5		3.40		17.13
दीर्घ मियादी प्रावधान	6		12.33		17.54
वर्तमान देयताएं					
अल्पकालीन ऋण	7		177.12		402.65
व्यापार में देय	8		4430.70		5130.92
अन्य वर्तमान देयताएं	9		138.04		268.59
अल्प मियादी प्रावधान	10		328.71		611.36
कुल			**21411.23**		**17996.59**
परिसंपत्तियां					
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
स्थायी परिसंपत्तियां					
मूर्त परिसंपत्तियां	11	569.53		694.01	
अमूर्त परिसंपत्तियां	12	1.15		0.93	
		570.68		694.94	
पूँजीगत प्रगतिधीन कार्य		0.00	**570.68**	0.00	**694.94**
गैर-वर्तमान निवेश	13		**73.46**		**0.46**
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां :					
वर्तमान परिसंपत्तियां :					
मालसूचियां	16	650.96		1091.40	
व्यापार से प्राप्य	17	427.76		1308.76	
नकद एवं नकद समकक्ष	18	16428.10		11747.78	
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	19	803.41		1190.65	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	2456.86	**20767.09**	1962.60	**17301.19**
कुल			**21411.23**		**17996.59**
लेखे पर द्रष्टव्य	31				
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	32				

यह तुलन-पत्र उसी तारीख को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भित है।

निदेशक मण्डल की ओर से

कृते एवं उनकी ओर से एस. के. बसु एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी सं: 301026ई

(एस. बसु)
भागीदार, सदस्यता सं: 053225
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24.06.2014

एस. बनर्जी
निदेशक

एस. के. भट्टाचार्य
कंपनी सचिव

ब्रिगे० (रिटायर्ड) बी. डी. पाण्डे, एस एम
प्रबंध निदेशक

जी. सी. जश
महाप्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(₹ लाख में)

आय	द्रष्टव्य	चालू वर्ष	गत बर्ष
प्रचालन से राजस्व (सकल बिक्रय)	21	20021.80	26596.05
घटाएँ : उत्पाद शुल्क		20.48	44.35
प्रचालन से राजस्व (शुद्ध)		20001.32	26551.70
अन्य आय	22	1536.48	1095.83
कुल राजस्व		**21537.80**	**27647.53**
व्यय			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	23	3130.12	5102.56
(वृद्धि)/घटाएँ – प्रगतिधीन कार्य	25	367.56	530.23
कर्मचारी हित खर्चें	26	1750.20	2042.22
वित्त लागत	27	15.11	52.51
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	28	137.30	104.87
अन्य खर्च	29	8731.47	12973.04
कुल राजस्व		**14131.76**	**20805.43**
असामान्य मदों के पूर्व वर्ष का लाभ		**7406.04**	**6842.10**
असामान्य मद	30	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ		**7406.04**	**6842.10**
वर्तमान करों के लिए प्रावधान		2583.51	2429.62
वर्तमान कर पश्चात् लाभ		**4822.53**	**4412.48**
आस्थगित कर		0.00	0.00
कर–पश्चात् लाभ		**4822.53**	**4412.48**
लाभ तुलन पत्र में लाया गया		**4822.53**	**4412.48**
बुनियादी एवं तनूकृत प्रति शेयर आय		(₹ 237.97)	(₹ 217.74)
लेखे पर द्रष्टव्य	31		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	32		

यह लाभ व हानि लेखा विवरण उसी तारीख को हमारे प्रतिवेदन के संदर्भित है।

निदेशक मण्डल की ओर से

कृते एस. के. बसु एण्ड कंपनी एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी सं: 301026ई

(एस. बसु)
भागीदार, सदस्यता सं: 053225
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24.06.2014

एस. बनर्जी
निदेशक

एस. के. भट्टाचार्य
कंपनी सचिव

ब्रिगे०. (रिटायर्ड) बी. डी. पाण्डे, एस एम
प्रबंध निदेशक

जी. सी. जश
महाप्रबंधक (वित्त)

लेखे की अंगीभूत टिप्पणियां

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–1	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
शेयर पूँजी :			
क) प्राधिकृत, निर्गमित, अभिदत्त एवं पूर्णत: चुकता शेयरों का विवरण			
प्राधिकृत :			
₹ 100/- प्रत्येक का 30,00,000 इक्विटी शेयर		3000.00	3000.00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता	**31(7)**		
₹ 100/- प्रत्येक का 20,26,500 इक्विटी शेयर पूर्णत: चुकता उपर्युक्त शेयरों में से (क) 63,900 शेयर लाभ और आरक्षित निधियों के पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयर के जरिए पूर्णत: चुकता के रुप में आवंटित किए गए थे (ख) 13,88,000 इक्विटी शेयर भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में नगद में बगैर भुगतान प्राप्त हुए ही पूर्णत: चुकता के रूप में आवंटित किये गये थे।		2026.50	2026.50

ख) चुकता शेयर पूंजी का मिलान

	2014-2015		2013-14	
	शेयर संख्या	रकम	शेयर संख्या	रकम
वर्ष के प्रारंभ में बकाया ₹ 100/- प्रत्येक का इक्विटी शेयर	2026500	2026.50	2026500	2026.50
वर्ष के अंत में बकाया ₹ 100/- प्रत्येक का इक्विटी शेयर	2026500	2026.50	2026500	2026.50

ग) शेयर धारकों द्वारा कंपनी के 5% से अधिक शेयर धारित

			31.03.2015 को	31.03.2014 को
शेयर धारकों के नाम	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**	**धारित शेयरों की संख्या**	**%**
भाभाउनिलि के जरिए भारत के राष्ट्रपति एवं इसकी मनोनीतों	2026500	100	2026500	100

द्रष्टव्य–2		
प्रारक्षित और अधिशेष	**31 मार्च, 2015 को**	**31 मार्च, 2014 को**
प्रारक्षित पूँजी	0.06	0.06
सामान्य प्रारक्षित :		
पिछले लेखे के अनुसार शेष	646.56	315.62
जोड़ें – लाभ व हानि विवरण से अंतरित	361.69	330.94
	1008.25	646.56
ऋणपत्र विमोचन प्रारक्षित	303.66	303.66
अधिशेष यानी लाभ व हानि विवरण में शेष :		
पिछले लेखे के अनुसार शेष	7707.00	4403.30
जोड़ें – वर्ष का कर पश्चात् लाभ	4822.53	4412.48
	12529.53	**8815.78**
घटाएं – परिशोधन		
सामान्य प्रारक्षित	361.69	330.94
ऋणपत्र विमोचन प्रारक्षित	0.00	303.66
प्रस्तावित लाभांश	0.00	405.30
प्रस्तावित लाभांश पर कर	0.00	68.88
शुद्ध अधिशेष	12167.84	7707.00
	13479.81	8657.28

(₹ लाख में)

	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
द्रष्टव्य–3			
दीर्घकालीन ऋण :			
प्रतिभूति ऋण		0.00	0.00
अप्रतिभूति ऋण		814.62	864.62
(क) **ऋण की प्रकृति :**			
i) शून्य दर पर डिबेंचर की रकम ₹ 1214.62/- लाख			
(ख) **पुनर्भुगतान की शर्तें :**			
i) शून्य दर पर डिबेंचर की रकम ₹ 1214.62/- लाख		– वर्ष 2007-08 से ₹ 50/- लाख की सलाना किस्त	
द्रष्टव्य–5			
अन्य दीर्घकालीन देयताएं			
भा. स. के ऋण पर ब्याज उपचित परंतु बकाया नहीं		3.40	17.13
द्रष्टव्य–6			
दीर्घकालीन प्रावधान			
अवकाश ग्रहण के उपरांत लाभ (आनुतोषिक)		12.33	17.54
द्रष्टव्य–7			
अल्पकालीन ऋण			
प्रतिभूत ऋण (केनरा बैंक से ओवर ड्राफ्ट – मांग पर पुनर्भुगतान)	31(9a)	3.14	2.65
अप्रतिभूत ऋण :	31(8c)	173.98	400
		177.12	402.65
(क) **ऋण की प्रकृति**			
i) शून्य दर पर ऋणपत्र ₹ 1214.62 लाख			
ii) वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा दी गयी ₹ 100/- लाख की राशि का योजना ऋण			
iii) वर्ष 2008-09 में भारत सरकार द्वारा दी गयी ₹ 175/- लाख की राशि का योजना ऋण			
(ख) **पुनर्भुगतान की शर्तें**			
i) शून्य दर पर डिबेंचर ₹ 1214.62 लाख		– वर्ष 2007-08 से ₹ 50/- लाख की सलाना किस्त	
ii) वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा दी गयी ₹ 100/- लाख की राशि का योजना ऋण		– वर्ष 2006-07 से ₹ 20/- लाख की सलाना किस्त	
iii) वर्ष 2008-09 में भारत सरकार द्वारा दी गयी ₹ 175/- लाख की राशि का योजना ऋण		– वर्ष 2009-10 से ₹ 35/- लाख की सलाना किस्त	

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–8

	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
व्यापार में देय:			
i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का बकाया	31(6)	0.00	0.00
ii) अन्य		4430.70	5130.92
		4430.70	**5130.92**

द्रष्टव्य–9

अन्य वर्तमान देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम	48.53	178.53
अन्य देयताएं	89.51	90.06
	138.04	268.59

द्रष्टव्य–10

अल्पकालीन प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण	147.60	126.22
छु. या. रि. के लिए प्रावधान	13.19	10.96
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का शुद्ध)	167.92	0.00
प्रस्तावित लाभांश	0.00	405.30
आयकर (लाभांश)	0.00	68.88
	328.71	**611.36**

द्रष्टव्य–11

स्थायी परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

मूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन/ कटौतियां	31.03.2015 को कुल	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन/ कटौती	31.03.2015 को कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
भवन (लेखे की अनुसूची में द्रष्टव्य का संदर्भ लें)	109.91	0.00	0.00	109.91(1)	27.66	8.70	0.00	36.36	73.55	82.27
जहाज (स्पीड बोट)	2.31	0.00	0.00	2.31	2.30	0.00	0.00	2.30	0.01	0.01
संयंत्र और मशीनरी	1568.21	5.45	0.00	1573.66	965.85	121.26	0.00	1087.11	486.55	602.36
फर्नीचर और फिटिंग्स एवं कार्यालय उपकरण	28.06	3.23	0.00	31.29	24.02	2.22	0.00	26.24	5.05	4.04
वाहन	9.28	0.04	0.00	9.32	9.17	0.01	0.00	9.18	0.14	0.11
कंप्यूटर हार्डवेयर	41.56	3.29	0.00	44.85	36.32	4.30	0.00	40.62	4.23	5.24
कुल	**1759.33**	**12.01**	**0.00**	**1771.34**	**1065.32**	**136.49**	**0.00**	**1201.81**	**569.53**	**694.01**

द्रष्टव्य–12

स्थायी परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन/ कटौतियां	31.03.2015 को कुल	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान संयोजन	वर्ष के दौरान समायोजन/ कटौती	31.03.2015 को कुल	31.03.2015 को	31.03.2014 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3.65	1.03	0.00	4.68	2.72	0.81	0.00	3.53	1.15	0.93
कुल परिसंपत्तियां (अनु. 11 + 12)	1762.98	13.04	0.00	1776.02	1068.04	137.03	0.00	1205.34	570.68	694.94
विगत वर्ष	*1745.57*	*17.41*	*0.00*	*1762.98*	*963.17*	*104.87*	*0.00*	*1068.04*	*0.00*	*0.00*
पूँजीगत चालू कार्य									0.00	0.00
								कुल	**570.68**	**694.94**

द्रष्टव्य: (1) इसमें कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से लाइसेंस के करारनामें के अन्तर्गत सर्कुलर गार्डेन रीच रोड, कोलकाता की भूमि पर स्थायी ढांचे के संबंध में ₹ 2.42 लाख (गत वर्ष ₹ 2.42 लाख) सम्मिलित है।

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–13

	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
गैर–वर्तमान निवेश (लागत पर)					
व्यापार निवेश (अनुद्धत)					
दि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पूर्णत: चुकता शेयर			0.00		0.00
₹ 100/- प्रत्येक का 300 इक्विटी शेयर व्यापार में निवेश के अतिरिक्त (अनुद्धत)		0.30		0.30	
5% अप्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक ईस्ट इण्डिया क्लिनिक लि. अन्य प्रतिभूतियां/बॉण्ड (अनुद्धृत)					
आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉण्ड–2026		0.16	0.46	0.16	0.46
(जारी मूल्य–3000/- रु, अंकित मूल्य–1,00,000/- रु प्रत्येक)			53.00		20.00
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण रिडीमेबल बॉण्ड–2007 : 8% 2 सं०			20.00		
अंकित मूल्य–10.00 लाख रु, परिपक्वता मूल्य 10.00 लाख रु प्रत्येक)			73.46		0.46

द्रष्टव्य–16

मालसूचियां (1)					
कच्चे माल	23		142.13 (2)		206.84
भण्डारण, यंत्रांग एवं संघटक (शुद्ध)			2.77		8.52
फुटकर औजार			13.79		16.21
प्रगतिधीन कार्य	25		492.27		859.83
			650.96		1091.40
(1) नोट–32 पैरा (5) में वस्तुसूचियों के मूल्यांकन हेतु लेखांकन नीति प्रतिपादित करती है।					
(2) स्क्रैप स्टॉक सम्मिलित है।			17.88		39.00

द्रष्टव्य–17

व्यापार से प्राप्य –				
छह माह से अधिक				
शोध्य माने गए	269.59		269.59	
संदिग्ध माने गए	778.84		734.84	
अन्य				
शोध्य माने गए	158.17		1039.17	
	1206.60		2087.60	
घटाएँ : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	778.84	427.76	778.84	1308.76

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–18

	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
नगद और नगद तुल्यमान :			
नकद हाथ में		11.15	10.64
अनुसूचित बैंकों के पास			
चालू खाते में		306.95	87.14
अल्पावधि जमा खाते (1) में		15195.00	11460.00
बंक गारंटी के रूप में बैंक के पास ग्रहणाधिकार के अधीन		915.00	190.00
		16428.10	11747.78

(1) बैंकों में स्थायी जमा – सभी 12 माह और 12 माह से कम समय पर परिपक्वतावाली है।

द्रष्टव्य–19

अल्पकालीन ऋण और अग्रिम :			
अप्रतिभूत या जब तक अन्यथा नहीं बताये गये, शोध्य माने गए		803.30	833.10
नगद या वस्तु रूप सें वसूलीयोग्य या प्राप्य मूल्य के लिए अग्रिम	31(4)		
भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में मार्गस्थ निधि (अवितरित सरकारी ऋण)		0.11	0.11
अग्रिम आयकर (शुद्ध)		0.00	357.44
		803.41	1190.65

द्रष्टव्य–20

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
निवेश और जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	715.93	466.49
बयाना राशि एवं अन्य जमा	1740.87	1496.05
सीमाशुल्क, पोर्ट ट्रस्ट, उत्पाद शुल्क इत्यादि के पास शेष	0.06	0.06
	2456.86	1962.60

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–21

	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
विक्रय :			
घरेलू	31(18)	20021.80	26596.05
निर्यात		0.00	0.00
		20021.80	26596.05

द्रष्टव्य–22

अन्य आय		
बैंकों और जमानती जमा पर ब्याज (₹ 127.68 लाख गत वर्ष ₹ 87.03 लाख स्त्रोत पर कर की कटौती शामिल है)	1300.74	897.39
निवेश पर ब्याज	0.00	0.00
विविध ब्याज	0.00	0.05
स्क्रैप की बिक्री	235.74	198.39
	1536.48	1095.83

द्रष्टव्य–23

कच्चे माल की खपत :		
प्रारंभिक स्टॉक	206.84	390.00
जोड़ें : क्रय	2956.13	4865.42
	3162.97	**5255.42**
घटाएँ : अंतिम स्टॉक	142.13	206.84
	3020.84	5048.58
जोड़ें : अन्य प्रभार	109.28	53.98
	3130.12	**5102.56**

द्रष्टव्य–24

व्यापार में क्रय का स्टॉक :	0.00	0.00

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–25

	द्रष्टव्य	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
प्रगतिधीन कार्यों एवं तैयार मालों में वृद्धि / (कमी)			
प्रारम्भिक स्टॉक			
प्रगतिधीन कार्य	**16**	859.93	1390.06
अंतिम स्टॉक			
प्रगतिधीन कार्य		492.27	859.83
		(367.56)	**(530.23)**

द्रष्टव्य–26

कर्मचारी हितलाभ खर्च :		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	1569.48	1845.37
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान (1)	118.48	130.98
कर्मचारी कल्याण खर्च	62.24	65.87
	1750.20	**2042.22**
(1) आनुतोषिक निधि सहित	17.79	21.28

द्रष्टव्य–27

वित्त लागत :		
योजना ऋण – भारत सरकार	10.24	50.56
अन्य :		
बैंक एवं अन्य	4.87	1.95
	15.11	**52.51**

द्रष्टव्य–28

मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय :		
मूर्त संपत्ति पर में मूल्यह्रास	136.49	104.70
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	0.81	0.17
	137.30	**104.87**

(₹ लाख में)

द्रष्टव्य–29

		31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को
अन्य व्यय :				
उप संविदा और अन्य परिवर्तन प्रभार		6055.59		9596.85
संरचित इस्पात कार्य व्यय		372.44		704.82
भंडारण एवं स्पेर्य्स की खपत		161.75		366.79
बिजली और ईंधन		275.90		347.23
महसूल और अग्रेषण		12.33		4.56
किराया		56.21		56.91
स्थानीय कर और उप कर		132.98		63.04
संविदा कार्य कर		919.19		1304.42
बीमा		21.18		26.30
विज्ञापन		32.46		20.87
यात्रा		43.52		38.57
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स		7.65		6.42
मुद्रण और लेखन सामग्री		7.62		6.32
बैंक प्रभार		28.39		35.39
अन्य परियोजना व्यय		0.00		0.00
मरम्मत और अनुरक्षण :				
– भवन	0.18		0.00	
– संयंत्र और मशीनरी	1.74		1.05	
– अन्यान्य	3.62	4.55	4.74	5.79
विधिक / परमर्शो और पेशेवर प्रभार		30.53		42.22
गाड़ी भाड़ा प्रभार		43.92		32.65
चन्दा और दान		1.31		0.83
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चे		69.46		4.88
नियंत्रक कंपनी का सेवा प्रभार		66.07		87.77
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि		0.00		0.00
साइट स्थापना		9.68		6.63
डूबे कर्ज का प्रावधान		0.00		43.84
पूर्वाविधि समायोजन (शुद्ध)		19.37		(42.89)
विविध व्यय (1)		359.37		212.83
		8731.47		**12973.04**
(1) सम्मिलित :				
लेखा परीक्षा शुल्क		0.79		0.79
कर लेखा परीक्षा शुल्क		0.00		0.00

द्रष्टव्य–30

असामान्य मदें :

		0.00		**0.00**

द्रष्टव्य–31
लेखे पर द्रष्टव्य

(₹ लाख में)

		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.	(क) पूँजी वचनबद्धता– निष्पादन के लिए बाकी बची संविदाओं की अनुमानित राशि।	0.11	5.03
	(ख) आकस्मिक देयता, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, निम्नरूपेण हैं:– दावे जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किये गये हैं:–		
	विवादित बिक्री कर मांग, जिसके लिए तर्कसंगत समझा गया अपील लंबित है	693.37	693.37
	तर्कसंगत समम्के गये अपील के अन्तर्गत विवादित आयकर।	114.25	114.25
	(ग) असमाप्त बैंक गारंटी	**915.88** **+$ 11,25,000**	**1175.70**
2.	(क) कच्चे माल, भण्डार इत्यादि की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अन्त में किया गया है भौतिक स्टॉक और पुस्तक स्टॉक के बीच विसंगतियां, उल्लेखनीय नहीं होने से लेखा पुस्तकों में समुचित संव्यवहार किया गया है।		
	(ख) कच्चे माल की वस्तुसूची में सैद्धांतिक भार पर परिकलित बड़ी संविदाओं के लिए इस्पात सम्मिलित है। वस्तुसूचियों का मूल्य प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित किया गया है।		
3.	बैंक शेष में बोनाम साइट – ₹ 0.09 लाख, बैतरनी साइट – ₹ 0.10 लाख, फरक्का साइट – ₹ 0.03 लाख, कहलगांव साइट – ₹ 0.01 लाख, कानन्ह साइट – ₹ 0.13 लाख, रिहान्द साइट – ₹ 0.02 लाख और उल्लास साइट – ₹ 0.07 लाख। बन्द साइटों के ₹ 0.47 लाख (गतवर्ष ₹ 0.47 लाख) की राशि सम्मिलित है, जो बैंक की पुष्टि के अध्यधीन है। नकद शेष में बंद साइटों की 0.47 लाख रु० शामिल है।		
4.	(क) ऋण और अग्रिम में (द्रष्टव्य 19) चोरी द्वारा नकद हानि के रूप में ₹ 0.50 लाख (गत वर्ष ₹ 0.50 लाख) की राशि सम्मिलित है, जिसके लिए 26-07-2001 को यथोचित प्राधिकारियों के पास एफआईआर दर्ज की गई है और ऐसी हानि के लिए 2001-2002 में लेखे में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।		
	(ख) भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य प्रशासनिक प्रभार की राशि ₹ 0.36 लाख (गत वर्ष ₹ 0.36 लाख) का नकद आधार पर लेखांकन किया जायेगा और इस तरह अलेखाकृत प्राप्यताएं कुल मिलाकर ₹ 13.52 लाख हैं (गत वर्ष ₹ 13.16 लाख)।		
	(ग) उप ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता के पास पड़े हुए शेष पर वसूली / समायोजन की राशि ₹ 327.59 लाख (गत वर्ष ₹ 352.39 लाख) का निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई हो रही है।		
	(घ) विविध देनदारों, जिनमें से रेलवे सहित अधिकांश सरकारी पार्टियां हैं, की वसूली / समायोजनों के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।		
	(ङ) देनदारों, लेनदारों, ऋणों, अग्रिमों और जमा से शेष के पुष्टिकरण न होने से पुस्तकों में प्रदर्शित राशि को सही माना गया है।		
5.	ग्राहकों के पास ₹ 1230.31 लाख, (गत वर्ष ₹ 1179.35 लाख) की जमानत राशि (द्रष्टव्य–20) वापसी योग्य हैं बशर्ते कि संविदा पूरी / हो जाए / अंतिम निपटान हो जाये।		

द्रष्टव्य–31
लेखे पर द्रष्टव्य

(₹ लाख में)

		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
6.	"सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम" उद्यम (आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के आधार पर) का जिसका कंपनी ऋणी 45 दिनों से अधिक के लिए ₹ 1 लाख से अधिक बकाया हेतु ऋणी है विद्यमान नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा–22 द्वारा यथोपेक्षित निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :–		
	(क) (i) लेखांकन वर्ष के अंत तक अप्रदत्त मूल राशि		
	(ii) उपरोक्त पर बकाया ब्याज	शून्य	शून्य
	(ख) आपूर्तिकर्ताओं को नियत तारीख के बाद कंपनी द्वारा भुगतान के साथ ब्याज की राशि चुकता की गयी	शून्य	शून्य
	(ग) वित्तीय वर्ष के अंत तक उपार्जित ब्याज जो अदा नहीं कि गई।	शून्य	शून्य
	(घ) भुगतान करने में देर की अवधि का बकाया ब्याज की राशि परंतु जिसमें अधिनियम के तहत विशेष रूप से उल्लेखित ब्याज बगैर जोड़े ही देय हो।	शून्य	शून्य
	(ङ) जब तक ऐसे ब्याज वास्तव में चुकता न हो पाये परवर्ती वर्षों में आगे और भी ब्याज की देय राशि।	शून्य	शून्य
7.	(क) कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन (भारत सरकार की अनुमोदन सं. 12(4)/04-पीई-III दिनांक 04.07.2005) के परिणामस्वरूप और (क) भारत सरकार के ऋण, ब्याज और दण्डात्मक ब्याज के परिवर्तन पर नकद के अतिरिक्त अन्य दृष्टि से ₹ 100/- प्रत्येक के 13,88,000 इक्विटी शेयरों और (ख) ₹ 100/- प्रत्येक के 16,240 इक्विटी शेयरों की समुची राशि पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर के रूप में दिखायी गयी हैं। (ग) ₹ 100/- के प्रत्येक के 1,33,360 इक्विटी शेयर की सम्पूर्ण रकम पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर में शामिल कर दी गई है।		
	(ख) भारत सरकार की अनुमोदन सं. 8(11)/2005-पीई-III दिनांक 02.11.2005 के अनुसरण में हेवी प्लांट यार्ड में फेब्रिकेशन शॉप के निर्माण के लिए योजनागत व्यय पूरा करने के लिए इक्विटी के रूप में प्राप्त ₹ 100 लाख की राशि को पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर के रूप में शामिल किया गया है।		
	(ग) भारत सरकार की अनुमोदन सं. 8(18)/2007-पीई-III(ii) दिनांक 31.12.2007 के अनुसरण में संयंत्र और मशीनरी के संयोजन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) के क्रियान्वयन के लिए योजना व्यय पूरा करने के बावत इक्विटी के रूप में प्राप्त ₹ 150 लाख की राशि को पूर्णरूप से चुकता इक्विटी शेयरों में शामिल किया गया है।		
	(घ) भारत सरकार की अनुमोदन सं. 12(9)/2008-पीई-III(ii) दिनांक 19.11.2008 के अनुसरण में बी बी जे के प्रमुख ब्रिज के फेब्रिकेशन के लिए उपकरणों को हासिल के जरिए ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए इक्विटी के रूप में प्राप्त ₹ 175 लाख की राशि पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों में शामिल किया गया है।		
8.	(क) नगद के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए ₹ 1,000 प्रत्येक के ₹ 1,00,000 शून्य दर डिबेंचर जारी किया गया (आवंटन लंबित)।		
	(ख) शून्य दर डिबेंचर में ₹ 214.62 लाख (गत वर्ष ₹ 214.62 लाख) शामिल है, जो निर्गम नियंत्रित करने वाली शर्तों के प्राप्त नहीं होने से आवंटन के लिए लंबित है।		
	(ग) असुरक्षित ऋण (द्रष्टव्य–7) में जेड आर डी के लिए ₹ 350 लाख अप्रतिभूति(विगत वर्ष ₹ 350.00 लाख) तथा क्रमश: बकाया एवं उपार्जित ब्याज ₹ 73.98 लाख (विगत वर्ष ₹ 50.00 लाख) पुनर्भुगतान की शर्तों के अधीन अभी तक भारत सरकार को भुगतान किया जाना है।		
9.	(क) स्थायी जमा के जरिए 15% मार्जिन के विरुद्ध ₹ 9,000 लाख की कुल सीमा के लिए कोष आधारित और गैर–कोष आधारित सुविधा (बैंक गारंटी) के लिए केनरा बैंक के पक्ष में बंधक और दृष्टिबंधक के सहारे कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों और स्टॉक एवं कर्ज खाता पर प्रथम प्रभार बनाया गया है।		
	(ख) कंपनी के पास 5% की गैर–विमोच्यय पंजीकृत ऋणपत्र 16,000 इस्ट इण्डिया क्लीनिक लि. के पास स्टॉक है जिससे कंपनी उससे कोई आय नहीं कर रही है। गैर–चालू निवेशों (द्रष्टव्य–13) में शामिल ₹ 16,000 रु० की ईस्ट क्लिनीक लिमिटेड में 5% गैर–विमोच्य पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक से कंपनी कोई आय नहीं कर रही है।		

अनुसूची-31 (जारी)

(₹ लाख में)

	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
10. निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
(क) प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक		
वेतन और भत्ते	13.40	NIL
भविष्य निधि इत्यादि में अंशदान	1.39	NIL
(ख) निदेशक (परियोजना) का परिश्रमिक :-		
वेतन और भत्ते		
भविष्य निधि इत्यादि में अंशदान	15.78	NIL
	1.43	
उपर्युक्त जी बी नि के अनुमोदित आनुतोषिक निधि एवं छुट्टी भुनान का प्रावधान छोड़ कर है जिसे समग्र कंपनी के आधार पर बीमांकिक निर्धारण किया जाता है।		
11. असमाविष्ट मूल्यह्रास एवं भविष्य के लाभ की अनिश्चितता को देखते हुए आस्थगित कर परिसंपत्तियां को लेखे में समझदार उपाय के तौर पर इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखांकन मानदण्ड (एएस-22) के साथ स्वीकार नहीं किया गया हैं।		
12. कंपनी का एकल क्षेत्र है-फेब्रिकेशन सहित निर्माण।		
13. संबद्ध पार्टी का संबंध:		
(i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक-(क)श्री कल्लोल दत्त, अध्यक्ष (ख) ब्रिगे० बी डी पाण्डेय प्रंबध निदेशक, (ग) श्री सुन्दर बनर्जी, निदेशक (परियोजना)		
(ii) संबद्ध पार्टी के साथ लेन-देन: प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (परियोजना) को दिया गया पारिश्रमिक-उपर्युक्त नोट नं. 10 देखें।	141.58	206.41
	539.06	322.28
(iii) ए वाई सी एल से खरीदी गयी फेब्रिकेटेड सामग्री, जिसमें श्री कल्लोल दत्त, सी एम डी भी हैं।		
(iv) एल एण्ड टी को बेचा गया फेब्रिकेटेड सामग्री, जिसमें श्री राकेश चोपड़ा, निदेशक भी है।		
14. आकस्मिक परिसंपत्तियों, अनिश्चेय होने से लेखे में खुलासा नहीं की गई हैं।		
15. कंपनी की प्रथा के अनुसरण में प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों के हानिकरण की समीक्षा की जाती है और इसे तब स्वीकारा जाता है, जब कभी परिसंपत्ति की आगे ले जाने वाली राशि इसकी वसूली की राशि से अधिक हो जाती है।	31.3.2015 को	31.3.2014 को
16. छुट्टी नकदीकरण के मामले में ''कर्मचारी हितलाभ'' पर एएस-15 (संशोधित) के अधीन वांछित प्रकटीकरण, जो कि जीवनांकिक मूल्यांकन के आधार पर एक अवित्तपोषक योजना है।		
(i) **नियोजक के खर्चों का संघटक:**		
वर्तमान सेवा लागत	13.20	10.26
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
ब्याज लागत	9.02	8.33
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित वापसी	0.00	0.00
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
वर्ष में स्वीकृत जीवनांकिक लाभ / हानि,	26.24	19.48
लाभ / हानि के विवरण में स्वीकृत व्यय	48.45	38.07

अनुसूची–31 (जारी)

(₹ लाख में)

	31.3.2015 को	31.3.2014 को
(ii) **इकरारनामे करार के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:**		
वर्ष के शुरुआत में इकरारनामें का वर्तमान मूल्य	126.23	102.20
अधिग्रहण समायोजन	0.00	0.00
ब्याज लागत	9.02	8.33
विगत सेवा लागत	0.00	0.00
वर्तमान सेवा लागत	13.20	10.26
कटौती लागत	0.00	0.00
निपटान लागत	0.00	0.00
हितलाभ प्रदत्त	27.08	14.04
इकरारनामे पर जीवनांकिक लाभ / हानि	26.24	19.48
वर्ष की समाप्ति पर करार का वर्तमान मूल्य	147.61	126.23
वर्ष की समाप्ति पर करारनामे का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अंत में अंतिम निधि / प्रावधान	147.61	126.23
(iii) **जीवनांकिक अनुमान**		
छूट दर	8.00	8.75
मुद्रास्फीति दर	6.00	0.00
परिसंपत्ति पर वापसी	0.00	0.00
बाकी बचे कार्यशील जीवन	12	14
इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	

	2014-15	2013-14
	₹ 237.97	₹ 217.74
	₹ 237.97	₹ 217.74

17. (a) केन्द्र सरकार ने 11 जून, 2015 को कंपनी अधिनियम, 1996 की धारा 391(2) के साथ पठित धारा 394 के अधीन दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के साथ भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (हस्तांतरिती कंपनी) की एकीकरण की योजना को स्वीकृति दी थी। कथित योजना के प्रभावी होने की नियत तिथि 01.04.2015 होने पर इस योजना से हस्तातंरणकर्ता एवं हस्तांतरिती दोनों कंपनियों के शेयरधारकों एवं लेनदारों एवं सभी संबंधित आबद्ध रहेंगे।

17. (b) कंपनियों के समामेलित हो जाने एवं योजना के प्रभावी होने के फलस्वरूप–

(i) हस्तांतरिती कंपनी बगैर समापन की प्रक्रिया के भंग हो गयी है;

(ii) योजना के अनुसार हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी परिसम्पत्तियॉ, अधिकारों एवं शक्तियों आगे से हस्तांतरिती कंपनी को बगैर कार्य या अनुबंध के हस्तांतरित हो जाती है एवं तदनुरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394(2) के अनुसरण में वह हस्तांतरणकर्ता कंपनी की वहां सभी सम्पदा एवं हित हस्तांतरिती कंपनी में हस्तांतरित एवं निहित हो जायेगी।

(iii) योजना के अनुसार हस्तांतरणकर्ता कंपनी की सभी दायिताएँ एवं कर्त्तव्य आगे से हस्तांतरिती कंपनी को बगैर कार्य या अनुबंध के हस्तांतरित हो जाती है एवं तदनुरूप, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 394(2) के अनुसरण में वह हस्तांतरणकर्ता कंपनी की वहां सभी दायिताएँ एवं कर्त्तव्य हस्तांतरिती कंपनी को हस्तांतरित हो जायेगी और हस्तांतरिती कंपनी की दायिताएँ एवं कर्त्तव्य बन जायेगा.

(iv) हस्तांतरणकर्ता कंपनी दवारा अभी लंबित या इसके विरूद्ध सभी अदालती मामले / कार्यवाही हस्तांतरिती कंपनी के विरूद्ध या उसके दवारा जारी रखी जायेगी।

(v) आवेदक कंपनियां कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानदण्ड नियम, 2006 में यथा रखे गये लेखांकन मानदण्ड (एएस) 14 लागू करेंगी।

18 (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1913 के अधिनियमन के अनुसरण में अनुमानित उपयोगी जीवन अनुसूची–II में बताये मूल्यह्रास की हिसाब करने के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, अपरिशोधित जारी मूल्य बचे उपयोगी मूल्य पर मूल्यह्रासित / परिशोधित किया जा रहा है। चालू वर्ष के मूल्यह्रास में स्थायी परिसम्पत्तियों के बट्टे खाते डाली गयी मूल्य शामिल है, जिसका 5,05,498 रुपये मात्र की राशि की जीवनक्षम 1 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो गया है। 18 (ख) कंपनी ठेके के गैर निष्पादित हिस्से के बारे में भविष्य की हानि का अनुमान नहीं की है एवं इसलिए उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 19. (a) अर्जन प्रति शेयर (बुनियादी) अर्जन प्रति शेयर (तनुकृत) (b) पिछले साल के अकों को संशोधित अनुसूची–III के मुताबिक जहाँ कहीं आवश्यक है उसे पुन पुनर्समूहीत / पुनर्व्यवस्थित किया गया हैं।	

अनुसूची–31

20. विक्रय और परियोजना आय

(₹ लाख में)

माल की श्रेणी	इकाई	विक्रय और परियोजना आय		
		वर्ष	परिमाण	राशि
इरेक्शन	मे. टन	2014-15	8252.831	
	सं.	2014-15	289766	
	सेट्स	2014-15	17	
	वर्गमीटर	2014-15	2811.167	
	मीटर	2014-15	737	11447.93
	मे. टन	2013-14	19136.868	
	सं.	2013-14	6	
	सेट्स	2013-14	0	
	वर्गमीटर	2013-14	2069	(11952.87)
फैब्रिकेशन	मे. टन	2014-15	11615.233	
	वर्गमीटर	2014-15	0.00	8487.00
	मे. टन	2013-14	14887.464	
	वर्गमीटर	2013-14	0	(14643.18)
सिविल		2014-15	एकमुश्त	86.87
		2013-14	एकमुश्त	0.00
कुल		**2014-15**		**20021.80**
कुल		**2013-14**		**(26596.05)**

अनुसूची–31 (जारी)

21. भण्डार की खपत और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित खर्च सम्मिलित है:

(₹ लाख में)

	भण्डार		कर्मचारियों का पारिश्रमिक	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत	18.46	31.35	0.83	1.41
वाहनों की मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्यान्य मरम्मत	0.52	2.14	0.17	0.71
कल्याण व्यय	–	–		
कुल	**18.98**	**33.49**	**1.00**	**2.12**

22. कच्चा माल, भण्डार एवं यंत्रांग और संघटकों की खपत:

		वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
मद	**इकाई**	**परिमाण**	**₹ लाख**	**परिमाण**	**₹ लाख**
इस्पात	मे. टन	4016.552	1963.63	8424.228	4289.30
बोल्ट्स, नट्स और रिवेट्स	कि. ग्रा.	226611.000		814697.950	
	अदद	74864		43585	
	सेट	54	156.11	3111	405.22
रंग	लीटर	52630.00	93.97	63771.00	98.57
क्रय की गई और भवन सामग्रियां			758.21		247.94
अन्य सामग्रियां			48.62		7.54
भण्डार और संघटकों की खपत			129.34		324.76
खुले औजारों की खपत			11.57		21.91
अन्य प्रत्यक्ष प्रभार			130.12		74.09
			3291.87		**5469.33**

अनुसूची–31 (जारी)

23. आयात, व्यय और विदेशी मुद्रा में आय तथा खपत की सूचना

	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	(₹ लाख)		(₹ लाख)	
(क) आयातों का सी आई एफ मूल्य				
पूँजीगत मदें	शून्य		शून्य	
कच्चा माल और भण्डार	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	
(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय				
यात्रा, सम्मेलन इत्यादि	1.85		0.20	
	1.85		0.20	
(ग) विदेशी मुद्रा में आय				
एफओबी आधार पर निर्यात	शून्य		शून्य	
अन्यान्य	शून्य		शून्य	
	शून्य		शून्य	
(घ) कच्चा माल, संघटक की खपत का मूल्य				
आयातित	–		–	
स्वदेशी	3130.12	(100%)	5102.55	
भण्डार और यंत्रांग (अन्य खातों में खपत हुए भण्डार सहित)				
आयातित	0.00		0.00	
स्वदेशी	161.75	(100%)	366.79	
	3291.87		**5469.34**	

द्रष्टव्य–32

महत्वपूर्ण उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

लेखा विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसुचित लेखांकन मानदण्डों समेत भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2015 के अधीन अधिसूचित अनुसूची–III कंपनी के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार एवं प्रस्तुत करने हेतु प्रयोज्य हो गये है। निरंतर लागू किये जाने वाली लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है।

1. स्थायी परिसंपत्तियों का विवरण अभिग्रहण और करों, शुल्कों, महसूल और अभिग्रहण एवं संस्थापन से संबंधित अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित उसमें परवर्ती सुधारों की लागत पर दिया जाता है। निर्माण / स्थापना अवधि के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए व्यय किए गए ब्याज को पूंजीवद्ध किया गया है।

   तकनीकी जानकारी की लागत का पूंजीकरण किया जाता है और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से साझीदारी समझौते की अवधि तक या समझौते की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीन वर्ष तक, जो भी पहले ही, मुजरा किया जाता है।

2. (i) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्याह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II की अपेक्षाओं के अनुसार परिसंपत्तियों की लाभदायक अवधि पर ह्रंसित मूल्य पद्धति पर (डब्ल्यू डी वी) किया जाता है। वर्ष के दौरान संयोजित / निपटान की गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संयोजन / निपटान की तारीख के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर किया गया है।

   (ii) प्रमुख पूँजीगत/आधुनिकीकरण और विविधीकरण परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक खर्चों को समान वार्षिक किस्तों द्वारा आकलित लाभदायक अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

3. (i) राजस्व को संविदाओं के समापन और / या सेवाओं के प्रदान करने पर बिक्री के रूप में माना जाता है और वे बिक्री कर के शुद्ध पर लेकिन वसूलीयोग्य महसूल और अन्य प्रभारों पर बीजक मूल्य को प्रदर्शित करते हैं।

   (ii) बिक्री को स्वीकृति मिलने पर संविदा के शर्तानुसार खरीद के संगत प्रभार के साथ ग्राहकों द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों के मूल्य सहित विचार किया जाता है।

   (iii) संविरचना और सेवा–कार्य आय (निर्मित उत्पाद के लिए सहित जहाँ कहीं लागू है) को समापन के समरूप प्रतिशत पर ग्राहकों के प्रमाणपत्र के अनुसार विचार किया जाता है।

   (iv) टर्नकी परियोजनाओं / दीर्घकालीन संविदाओं / भार आधारित संविदाओं के मामले में, निष्पादित कार्य के मूल्य का निर्धारण जब कोई परियोजना समापन के पूर्व–निर्धारित स्तर पर पहुंचती है, समरूप समापन प्रतिशत के संदर्भ में अधिकतम सीमाबंदी तक बढ़ोत्तरी सहित समानुपातिक संविदा मूल्य के आधार पर किया जाता है। उक्त स्तर से नीचे संपन्न कार्य लागत पर लिया जाता है।

   (v) सभी निश्चित अवधि दावों को राजस्व के रूप में माना जाता है।

4. (i) गारंटी अवधि के दौरान विक्रय पश्चात् सेवा व्यय की संगणना उस अवधि के लिए जाती है, जब यह व्यय होता है।

   (ii) अनुसंधान और विकास पर राजस्व व्यय को उस अवधि के लिए लिया जाता है, जिसमें वह खर्च होता है।

5. वस्तुसूचियों का मूल्यांकन निम्नतर लागत या शुद्ध उगाही मूल्य पर किया जाता है। आम तौर पर लागत का निर्धारण निम्नरूप से होता है:–

   (i) कच्चे माल, भण्डार और यंत्रांग, फुटकर औजारों का परिकलन लागत या उसके अधीन भारित औसत पद्धति पर किया जाता है।

   (ii) समापन के विभिन्न स्तरों पर चालू कार्य / चालू संविदा का कथन मूल लागत पर या उसके अधीन होता है। ग्राहकों से प्राप्त चालू कार्य भुगतान को चालू कार्य से घटाया जाता है।

   (iii) लागत पर मिथ्या कार्य सामग्री न्यून प्रत्येक परियोजना में इसके उपयोग के लिए 33.33% की दर से अपलेख कर किया जाता है।

   (iv) विकसित या विकासाधीन प्रोटोटाइप को जब तक बिक्री, स्थानांतरण या मूल लागत पर स्क्रैपिंग नहीं हो जाती, वस्तुसूची की मदों के रूप में आगे लाया जाता है।

   (v) भण्डार, कच्चा माल (कार्यों के लिए जारी की गयी सामग्रियों के अतिरिक्त) और औजारों के अचल स्टॉक का मूल्यांकन 3 वर्षों से हटाई नहीं गयी मदों के संबंध में पुस्तक मूल्य के 75% पर, 4 वर्षों से ज्यादा मदों पर 50% और 5 वर्षों से अधिक के संबंध में 25% पर किया जाता है।

निर्माण संविदाओं के लिए लेखांकन:

6. लाभ / हानि का विचार संविदाओं के समापन स्तर तक किया गया है। संविदाओं के अनिष्पादित अंश पर भावी हानि, यदि कुछ हो, का प्रावधान किया जाता है। अतिरिक्त कार्य का प्रावधान संविदा में नहीं है और वृद्धि गणना नगदी आधार पर है।

7. तुलन-पत्र की तारीख को बकाया **विदेशी मुद्रा कारोबार** का पुनर्कथन तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों पर किया जाता है। उससे उत्पन्न विनिमय अन्तरों का संव्यवहार लाभ और हानि लेखे के अन्दर किया जाता है, स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर, जिसका समायोजन इसकी चल राशि से किया जाता है।

8. **सेवानिवृत्ति हितलाभों** का प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया जाता है और जीवनांकिक मूल्यांकन या प्रशासित मूल्य के आधार पर, जहां उचित हो, भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों को भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा अव्यवहृत छुट्टी का नकदीकरण व प्रावधान जीवनांकिक आधार पर एएस-15 (संशोधित) के अनुसार किया जाता है।

9. कंपनी के वित्तीय मामलों को खासतौर पर प्रभावित करने वाली **पूर्वावधि** और असामान्य मदों और **लेखांकन नीतियों** में विचलन की घोषणा की जाती है।

10. **वर्तमान कर** का निर्धारण अवधि के लिए करधार्य आय के संबंध में भुगतानयोग्य कर की राशि के रूप में किया जाता है। **आस्थगित कर** को करधार्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अन्तर पर माना जाता है, जो एक काल में उत्पन्न होता है और व्यावहारिकता पर विचार करने के अध्यधीन परवर्ती कालों में परिवर्तन में सक्षम है। आस्थगित कर को अविलीन मूल्यह्रास पर नहीं माना जाता है, और जबतक भावी करधार्य आय के लिए वास्तविक निश्चितता नहीं होती हैं, अग्रेनीत हानियां नहीं स्वीकार की जाती।

11. **पूँजीगत व्यय** के लिए सरकार से सहायता या अनुदान को योजना में विनिर्धारित शर्तों के अनुपालन के लिए प्रतीक्षारत खास आरक्षित निधियों के रूप में जमा डाला जाता है। अवधि के समाप्त होने पर इसे पूँजी आरक्षित निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

12. **सरकारी** पार्टियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे से प्राप्यों को साधारणत: इसकी आयु विचार किए वगैर **वसूलीयोग्य** माना जाता है।

13. चालू निवेश लागत एवं उद्धृत/उचित मूल्य के निम्नतर श्रेणी चार संगणना की जाती है। गैर चालू-निवेश लागत पर बताया जाता है। यदि केवल अस्थायी के अलावा ऐसी गिरावट होती है तो गैर-चालू निवेश के मूल्य में कमी होने का प्रावधान किया जाता है।

14. जव परिसम्पत्ति की चलाने की लागत उसकी उगाही मूल्य से ज्यादा हो जानी है तो उस परिसम्पत्ति को हानिकर माना जाता है। क्षतिपूर्ण हानि जो जिस वर्ष में पहचाना जाता है उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। यदि अनुमानित वसूली राशि में बदलाव होता है तो पूर्ववर्ती लेखांकन अवधि में पहचान की गयी क्षतिपूर्ण हानि को प्रतिवर्तित कर दिया जाता है।

15. **''प्रावधान, संभावित देयतायें एवं संभावित परिसंपत्तियां''** प्रावधानों के लिए भरपूर आकलन किया गया है और भूतपूर्व घटनाओं के फलस्वरूप वर्तमान वचनवद्धता को मान्यता दी गयी है और इसकी वजह से परिसंपत्तियों के बहिर्गमन की संभावना है। संभावित देयतायों को मान्यता नहीं दिया गया है परंतु लेखा के द्रष्टव्य पर इसे उल्लिखित किया गया है। संभावित परिसंपत्तियों को न ही पहचान नहीं किया गया न ही आर्थिकी वित्तीय में उल्लिखित किया गया है।

15. तुलन-पत्र की तारीख के **पश्चात् घटने** वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

निदेशक मण्डल की ओर से

एस. बनर्जी		**ब्रिगे०. (रिटायर्ड) बी. डी. पाण्डे, एस एम**
निदेशक		*प्रबंध निदेशक*
एस. के. भट्टाचार्य		**जी. सी. जश**
कंपनी सचिव		*महाप्रबंधक (वित्त)*

कृते एस. के. बसु एण्ड कंपनी
एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी सं: 301026ई
(एस. बसु)
भागीदार, सदस्यता सं: 053225
स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24.06.2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

		2014-15		2013-14	
क.	**प्रचालनगत क्रियाकलापों से कोष का प्रवाह**				
(i)	**कर-पश्चात शुद्ध लाभ /(हानि)**		**4822.53**		**4412.48**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
	मूल्यह्रास	137.30		104.87	
	अन्य आय (कर का शुद्ध)	(1536.48)	(1399.18)	(1095.83)	(990.96)
	ब्याज व्यय		15.11		52.51
(ii)	**कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनगत लाभ**		**3438.45**		**3474.03**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
	व्यापार प्राप्यताएँ	881.00		4872.56	
	वस्तुसूचियां	440.45		839.04	
	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	387.24		(403.90)	
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(494.25)		(491.34)	
	देयताएं एवं प्रावधान	(1132.36)		(1546.74)	
			(82.08)		**3269.62**
	प्रचालनगत क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी		**(3520.54)**		**6743.65**
ख.	**निवेशमूलक क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**				
	अन्य आय	1536.48		1095.83	
	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (समायोजन का शुद्ध)	(13.05)		(17.40)	
	निवेश में वृद्धि	(73.00)		0.00	
	निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी		**(1450.43)**		**1078.43**
ग.	**वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**				
	भारत सरकार के ऋण की वापसी	(300.00)		(453.85)	
	अप्रतिभूति ऋण में वृद्धि	23.97		50.01	
	ब्याज प्रदत्त	(15.11)		(52.51)	
	नकद उधारी सुविधाओं में वृद्धि / (कमी)	0.49		(147.64)	
	लाभांश प्रदत्त (कर सहित)	0.00		(474.18)	
	वित्तपोषण क्रियाकलापों से शुद्ध नकदी		**290.65**		**1078.17**
घ.	**नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)**		**4680.32**		**6743.91**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		**11747.78**		**5003.87**
	वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य		**16428.10**		**11747.78**
	नकद प्रवाह विवरण पर द्रष्टव्य:				
	नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल है-हस्तगत नकद तथा बैंकों में शेष व मुद्रा बाजार के ईन्सट्रूमेण्ट में निवेश।				
	नकद एवं नकद समतुल्य नकद प्रवाह विवरण में निम्नलिखित तुलन-पत्र राशि शामिल है,				
	नकद हस्तगत (मार्गस्थ एवं हस्तगत चेक सहित)		11.15		10.64
	बैंक में चालू खाते में नकद		306.95		87.14
	अल्पकालीन जमा खाता (1)		16110.00		11650.00
	नकद एवं नकद समतुल्य		16428.10		11747.78
	नकद एवं समतुल्य यथा पुन: उल्लिखित		16428.10		11747.78

निदेशक मण्डल की ओर से

कृते एस. के. बसु एण्ड कंपनी	**एस. बनर्जी**	**ब्रिगे०. (रिटायर्ड) बी. डी. पाण्डे, एस एम**
एवं उनकी ओर से	*निदेशक*	*प्रबंध निदेशक*
सनदी लेखाकर		
फर्म पंजी सं: 301026ई	**एस. के. भट्टाचार्य**	**जी. सी. जश**
(एस. बसु)	*कंपनी सचिव*	*महाप्रबंधक (वित्त)*
भागीदार, सदस्यता सं: 053225		
स्थान: कोलकाता		
दिनांक: 24.06.2015		